पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 81)

धाराओं का क्रम

———————

धाराएं

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम ।

2. परिभाषाएं ।

भाग 2
मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना और मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों का बनाया जाना

3. मणिपुर राज्य की स्थापना ।

4. त्रिपुरा राज्य की स्थापना ।

5. मेघालय राज्य का बनाया जाना ।

6. मिजोरम संघ राज्य का बनाया जाना ।

7. अरूणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का बनाया जाना ।

8. आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र ।

9. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

भाग 3

विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

10. संविधान की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

11. विद्यमान मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों का आबंटन ।

12. मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य-क्षेत्रों को आबंटन में मिले स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन ।

13. 1950 के अधिनियम 43 की धारा 27क का संशोधन ।

लोक सभा

14. विद्यमान लोक सभा में स्थानों का आबंटन ।

15. मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध ।

16. काचर तथा धुबरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों तथा डीफू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि के निर्वाचन के बारे में उपबन्ध ।

17. मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा स्वायत्त जिला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्य के बारे में और तूरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि के बारे में उपबन्ध ।

18. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।

19. लोक सभा में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के बारे में उपबन्ध ।

20. विधान सभाओं में स्थानों का आबंटन ।

21. 1950 के अधिनियम 43 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन ।

22. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।

23. परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति ।

24. अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण ।

25. अनुसूचित जाति आदेशों का संशोधन ।

26. अनुसूचित जनजाति आदेशों का संशोधन ।

27. मेघालय राज्य की अनंतिम विधान सभा के बारे में तथा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की विधान सभाओं की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियमों के बारे में उपबंध ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

28. आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए सामान्य उच्च न्यायालय ।

28क. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए पृथक् उच्च न्यायालयों की स्थापना ।

28ख. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ।

28ग. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता ।

28घ. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों की मुद्रा की अभिरक्षा ।

28ङ. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों में पद्धति और प्रक्रिया ।

28च. रिटों और अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप ।

28छ. न्यायाधीशों की शक्तियां ।

28ज. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया ।

28झ. सामान्य उच्च न्यायालय से कार्यवाहियों का मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों को अंतरण ।

28ञ. निर्वचन ।

28ट. व्यावृत्ति ।

29. सामान्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता ।

30. कुछ न्यायालयों का उत्सादन ।

31. सामान्य उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान और उसकी बैठक के अन्य स्थल ।

32. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों पर सामान्य उच्च न्यायालय को अधिकारिता का विस्तारण ।

33. सामान्य उच्च न्यायालय के व्यय का आबंटन ।

34. अधिवक्ताओं और विधिज्ञ परिषद् के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध ।

35. सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया ।

36. सामान्य उच्च न्यायलय की मुद्रा की अभिरक्षा ।

37. रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप ।

38. न्यायाधीशों की शक्तियां ।

39. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया ।

40. आसाम और नागालैंड के उच्च न्यायालय तथा न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों से कार्यवाहियों का सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरण।

41. निर्वचन ।

42. सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरित कार्यवाहियों में हाजिर होने या कार्य करने का अधिकार ।

43. व्यावृत्तियां ।

भाग 5

व्यय का प्राधिकरण और राजस्व का वितरण

भाग 6

आस्तियां और दायित्व

50. मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की सम्पत्ति, आस्तियां, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं आदि ।

51. मेघालय राज्य की आस्तियां और दायित्व ।

52. मिजो जिले से सम्बद्ध आस्तियां और दायित्व (जिनके अन्तर्गत लोक ऋण भी हैं) ।

भाग 7
कुछ निगमों के बारे में उपबन्ध

53. कुछ निगमों के बारे में उपबन्ध ।

54. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जलप्रदाय के बारे में इन्तजाम का बना रहना ।

55. आसाम राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबन्ध ।

56. कानूनी निगमों के बारे में साधारण उपबन्ध ।

57. कुछ विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबन्ध ।

58. कुछ मामलों में छंटनी प्रतिकर से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध ।

59. आय-कर के बारे में विशेष उपबन्ध ।

60. कुछ राज्यकीय संस्थाओं में प्रसुविधाओं का बना रहना ।

भाग 8
सेवाओं के बारे में उपबन्

61. अखिल भारतीय सेंवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध ।

62. मणिपुर में और त्रिपुरा में सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध ।

63. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध ।

64. विद्यमान आसाम राज्य में सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध ।

65. मेघालय स्वायत्त राज्य में सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध ।

66. सेवाओं से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध ।

67. अधिकारियों को उन्हीं पदों पर बनाए रखने के बारे में उपबन्ध ।

68. सलाहकार समितियां ।

69. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

70. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबन्ध ।

भाग 9
विधिक और प्रकीर्ण उपबन्ध

71. संविधान के अनुच्छेद 210, 239क, 244, 244क, 275, 332, 371ख, तथा पंचम और षष्ठ अनुसूचियों का संशोधन ।

72. 1934 के अधिनियम 2 का संशोधन ।

73. 1950 के अधिनियम 64 का संशोधन ।

74. 1956 के अधिनियम 37 का संशोधन ।

75. 1963 के अधिनियम 20 का संशोधन ।

76. 1955 के अधिनियम 56 और त्रिपुरा (न्यायालय) आदेश, 1950 का संशोधन ।

77. विधियों का प्रादेशिक विस्तार ।

78. विद्यमान जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों तथा उनके सदस्यों को बनाए रखना ।

79. विधियों के अनुकूलन की शक्ति ।

80. विधियों के अयन्वियन की शक्ति ।

81. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों आदि को नामित करने की शक्ति ।

82. विधिक कार्यवाहियां ।

83. कुछ दशाओं में विधि व्यवसाय करने का प्लीडरों का अधिकार ।

84. लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण ।

85. न्यायालयों, आदि के चालू रहने के बारे में उपबन्ध ।

86. अधिनियम के अन्य विधियों से असंगत उपबन्धों का प्रभाव ।

87. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

87क. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 81)

[1 जुलाई, 1977 को यथाविद्यमान]

[30 दिसम्बर, 1971]

मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए और विद्यमान आसाम राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र बनाने तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में वह अधिनियमित होः—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" नियत दिन से वह दिन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ग) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(घ) "सामान्य उच्च न्यायालय" से धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट गोहाटी उच्च न्यायालय (आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय) अभिप्रेत है:

[1]['परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ही इस खंड के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो "(आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड का उच्च न्यायालय)" कोष्ठक और शब्द रखे गए थे ।]

(ङ) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(च) "विद्यमान आसाम राज्य" से नियत दिन के ठीक पहले यथाविद्यमान आसाम राज्य अभिप्रेत है;

(छ) "विधि" के अन्तर्गत, यथास्थिति,

विद्यमान सम्पूर्ण आसाम राज्य या मेघालय स्वायत्त राज्य या मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र में या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पहले विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत भी है;

(ज) संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन या विद्यमान आसाम राज्य की विधान सभा के सम्बन्ध में "आसीन सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पहले उस सदन या उस विधान सभा का सदस्य हो;

(झ) विद्यमान आसाम राज्य के सम्बन्ध में "उत्तरवर्ती राज्य" से आसाम राज्य या मेघालय राज्य अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत मिजोरम संघ राज्क्षेत्र के सम्बन्ध में संघ भी है;

(ञ) "खजाना" के अन्तर्गत उपखजाना भी है ।

[1] 2012 की अधिनियम संख्या 26 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

भाग 2

मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना और मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों का बनाया जाना

3. मणिपुर राज्य की स्थापना— नियत दिन से ही एक नया राज्य स्थापित किया जाएगा जो मणिपुर राज्य कहलाएगा और जिसमें वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो उस दिन के ठीक पहले मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र में समाविष्ट थे ।

4. त्रिपुरा राज्य की स्थापना—नियत दिन से ही एक नया राज्य स्थापित किया जाएगा जो त्रिपुरा राज्य कहलाएगा और जिसमें वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो उस दिन से ठीक पहले त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र में समाविष्ट थे ।

5. मेघालय राज्य का बनाया जाना—नियत दिन से ही एक नया राज्य बनाया जाएगा जो मेघालय राज्य कहलाएगा और जिसमें—

(क) वे राज्यक्षेत्र, जो आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 3 के अधीन बनाए गए मेघालय स्वायत्त राज्य में उस दिन के ठीक पहले समाविष्ट थे; तथा

(ख) शिलांग छावनी तथा नगरपालिका में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के वे भाग जो उस स्वायत्त राज्य के भाग नहीं थे;

समाविष्ट होंगे और तब उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान आसाम राज्य के भाग नहीं रहेंगे ।

6. मिजोरम संघ राज्य का बनाया जाना—नियत दिन से ही एक नया संघ राज्यक्षेत्र बनाया जाएगा जो मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र कहलाएगा और जिसमें वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो उस दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य के मिजो जिले में समाविष्ट थे और तब उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान आसाम राज्य के भाग नहीं रहेंगे ।

7. अरूणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का बनाया जाना— नियत दिन से ही एक नया संघ राज्यक्षेत्र बनाया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र कहलाएगा और जिसमें वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, जो संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग (ख) में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में उस दिन के ठीक पहले समाविष्ट थे [किन्तु उक्त पैरा 20 के उपपैरा (3) के परन्तुक के अधीन आसाम के राज्यपाल द्वारा जारी की गई तारीख 23 फरवरी, 1951 की अधिसूचना संख्यांक टीएडी/आर0/35/50/109 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र इससे अपवर्जित हैं] और जो पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी कहलाते है और तब उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान आसाम राज्य के भाग नहीं रहेंगे ।

8. आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र—नियत दिन से ही आसाम राज्य में विद्यमान आसाम राज्य के वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो धारा 5, 6 और 7 में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों को छोड़कर है ।

9. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही संविधान की प्रथम अनुसूची में,—

(क) "**1. राज्य**" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(i) आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र से सम्बन्धित पैरा में, "आसाम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में उल्लिखित है" शब्दों के पश्चात् "और वे राज्यक्षेत्र, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5, 6 और 7 में उल्लिखित हैं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) प्रविष्ट 18 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

"19. मणिपुर—वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह मणिपुर नाम का मुख्यायुक्त प्रान्त हो ।

20. त्रिपुरा—वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रकाशित था मानो वह त्रिपुरा नाम का मुख्यायुक्त प्रान्त हो ।

21. मेघालय—वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5 में उल्लिखित हैं।";

(ख) "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(i) 2 तथा 3 प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और 4 से 9 प्रविष्टियां क्रमशः 2 से 7 प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित की जाएंगी;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

"8. मिजोरम— वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 में उल्लिखित हैं।

9. अरुणाचल प्रदेश—वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 7 में उल्लिखित हैं।"

भाग 3

विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

10. संविधान की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही संविधान की चतुर्थ अनुसूची की सारणी में,—

(क) 19 से 22 प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः—

"19. मणिपुर . . .	1
20. त्रिपुरा . . .	1
21. मेघालय . . .	1
22. दिल्ली . .	3
23. पाण्डिचेरी . . .	1
24. मिजोरम . . .	1
25. अरुणाचल प्रदेश . . .	1";

(ख) "228" अंक के स्थान पर "231" अंक रखे जाएंगे।

11. विद्यमान मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों का आबंटन—विद्यमान मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के आसीन सदस्य नियत दिन से ही मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में से हर एक को अलग-अलग आवंटन में मिले स्थान को भरने के लिए अनुच्छेद 80 के खंड (4) के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित समझे जाएंगे और ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

12. मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य-क्षेत्रों को आबंटन में मिले स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन—नियत दिन के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले स्थानों को भरने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

13. 1950 के अधिनियम 43 की धारा 27क का संशोधन— नियत दिन से ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27क में,—

(क) उपधारा (1) में, "किसी स्थान या किन्हीं स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्थान या किन्हीं स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में, "मणिपुर, त्रिपुरा तथा पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में से हर एक के लिए निर्वाचकगण" शब्दों के स्थान पर "पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(5) मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों में से हर एक को राज्य सभा में आबंटन में मिला स्थान ऐसे व्यक्ति से भरा जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किया गया हो।"

लोक सभा

14. विद्यमान लोक सभा में स्थानों का आबंटन—(1) नियत दिन से ही और विद्यमान लोक सभा का विघटन होने तक आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों को लोक सभा में स्थानों का आबंटन और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या ऐसी होगी जो नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

सारणी

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	विद्यमान लोक सभा में स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4
1. **राज्य**			
1. आसाम . . .	14	1	2
2. मणिपुर . . .	2	. . .	1
3. त्रिपुरा . . .	2	. . .	1
4. मेघालय . . .	2	. . .	2
2. संघ राज्यक्षेत्र .			
1. मिजोरम . . .	1	. . .	1
2. अरूणाचल प्रदेश . .	1	. . .	1

(2) नियत दिन से ही और विद्यमान लोक सभा का विघटन होने तक संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 2 का भाग क प्रथम अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधित हो जाएगा ।

15. मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध—(1) नियत दिन से ही और विद्यमान लोक सभा का विघटन होने तक—

(क) विद्यमान मणिपुर संघ-राज्यक्षेत्र के दोनों संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र मणिपुर राज्य के दोनों संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र समझे जाएंगे ;

(ख) विद्यमान त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के दोनों संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र त्रिपुरा राज्य के दोनों संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र समझे जाएगें ;

और संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(2) ऐसे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का, जो नियत दिन को उपधारा (1) के उपबन्धों के आधार पर, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य का निर्वाजन-क्षेत्र हो जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का प्रत्येक आसीन सदस्य उस दिन से ही अनुच्छेद 81 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोक सभा के लिए उस निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित समझा जाएगा ।

16. काचर तथा धुबरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों तथा डीफू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि के निर्वाचन के बारे में उपबन्ध—(1) काचर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का, जो नियत दिन को धारा 14 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का आसीन सदस्य उस दिन से ही

इस प्रकार परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए अनुच्छेद 81 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निर्वाचित समझा जाएगा ।

(2) धुबरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का, जो नियत दिन को धारा 14 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का आसीन सदस्य उस दिन से ही इस प्रकार परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए अनुच्छेद 81 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निर्वाचित समझा जाएगा ।

(3) नियत दिन के पश्चात यथाशक्य शीघ्र लोक सभा में डीफू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए ऐसे निर्वाचन किया जाएगा मानो उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया है और ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्ध, यथासंभव, लागू होंगे ।

17. मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा स्वायत्त जिला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्य के बारे में और तूरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि के बारे में उपबन्ध—(1) मेघालय राज्य में दो संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे, जो शिलांग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा तूरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कहलाएंगे ।

(2) नियत दिन के ठीक पहले गारो पहाड़ी जिले के भीतर जो क्षेत्र पड़ते है उससे तूरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र बनेगा तथा मेघालय राज्य के शेष क्षेत्र से शिलांग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र बनेगा और उक्त दोनो संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका तदनुसार परिसीमन किया गया है ।

(3) नियत दिन के ठीक पहले स्वायत्त जिला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का आसीन सदस्य उस दिन से ही शिलांग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लोक सभा के लिए अनुच्छेद 81 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।

(4) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लोक सभा में तूरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए ऐसे निर्वाचन किया जाएगा मानो उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो और ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्ध, यावत्शक्य, लागू होंगे

18. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र—संपूर्ण मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा जो मिजोरम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कहलाएगा और नियत दिन के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, उस निर्वाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचन करने के लिए लोक सभा का निर्वाचन ऐसे किया जाएगा मानो उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो और ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्ध , यावत्शक्य लागू होंगे ।

19. लोक सभा में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के बारे में उपबन्ध—संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित आसाम के जनजाति क्षेत्रों को, जो पूर्वोत्तर सीमांत एजेन्सी कहलाते है, लोक सभा में आबंटन में मिले स्थान को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट आसीन सदस्य नियत दिन से ही लोक सभा में अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को आबंटन में मिले स्थान को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

20. विधान सभाओं में स्थानों का आबंटन—(1) नियत दिन से ही आसाम राज्य विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ छब्बीस से घटा कर एक सौ चौदह कर दी जाएगी; और उस विधान सभा का ऐसा प्रत्येक आसीन सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपधारा (5) के उपबन्धों के आधार पर आसाम राज्य में निर्वाचन-क्षेत्र नहीं रह जाता, नियत दिन से ही उस विधान सभा का सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) नियत दिन के पश्चात किसी भी समय गठित की जाने वाली मणिपुर राज्य विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या साठ होगी, जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगा और उन्नीस स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे ।

(3) नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय गठित की जाने वाली त्रिपुरा राज्य विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या साठ होगी जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगा और उन्नीस स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे ।

(4) नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय गठित की जाने वाली मेघालय राज्य विधान सभा में निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या साठ होगी जिनमें से पचास स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे ।

(5) नियत दिन से ही संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 प्रथम अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधित हो जाएगा ।

21. 1950 के अधिनियम 43 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन—(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची से—

(i) "**1. राज्य**" शीर्षक के अन्तर्गत—

(क) आसाम से सम्बन्धित मद 2 में "126" अंक के स्थान पर "114" अंक रखे जाएंगे;

(ख) मद 17 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"18. मणिपुर	60	1	19
19. त्रिपुरा	60	6	19
20. मेघालय	60	..	50";

(ii) "**2. संघ राज्यक्षेत्र**" शीर्षक के अंतर्गत मद 3 और 5 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (i) (क) द्वारा किया गया संशोधन नियत दिन से ही आसाम राज्य की विधान सभा के सम्बन्ध में प्रभावी होगा और उपधारा (1) के खंड (i) (ख) तथा खंड (ii) द्वारा किए गए संशोधन नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय गठित की जाने वाली मणिपुर, त्रिपुरा और मेगालय राज्यों की विधान सभाओं के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे ।

22. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) निर्वाचन आयोग धारा 20 के अधीन मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों की विधान सभाओं के लिए समनुदिष्ट स्थानों को एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें नीचे उपबन्धित रीति से, चाहे नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात, वितरित करेगा और नवीनतम जनगणना के आंकडों के आधार पर उनका परिसीमन संविधान के उपबंधों और निम्नलिखित उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात —

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक-सुविधा को ध्यान में रखना होगा ;

(ख) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आ जाए ;

(ग) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है, राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथासाध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो; तथा

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है, यथासाध्य उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "नवीनतम जनगणना के आंकडों" से सम्बद्ध राज्य के बारे में जनगणना के वे आंकडे अभिप्रेत है जो उस नवीनतम जनगणना से निश्चित किए जा सके जिसके अन्तिम रूप से प्रकाशित आंकडे उपलभ्य हैं ।

(2) निर्वाचन आयोग उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ सहयुक्त सदस्यों के रूप में निम्नलिखित को अपने साथ सहयुक्त करेगा,—

(क) मणिपुर राज्य के बारे में, यथास्थिति, मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र अथवा धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सभी आसीन सदस्य और ऐसे छह सदस्य, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 16 अक्तूबर, 1969 की अधिसूचना संख्या का0 आ0 4223 के साथ तारीख 16 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके विघटन के ठीक पहले मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य थे, और जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, नामनिर्दिष्ट करे;

(ख) त्रिपुरा राज्य के बारे में, यथास्थिति, त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र या धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सभी आसीन सदस्य और ऐसे छह व्यक्ति, जो 1 नवम्बर 1971 के ठीक पहले कृत्य कर रही त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य हों और जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, नामनिर्दिष्ट करें;

(ग) मेघालय राज्य के बारे में यथास्थिति, स्वायत्त जिला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र अथवा धारा 17 के अधीन मेघालय संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का सदस्य और, यथास्थिति, आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 की (1969 का 55) धारा 62 के अधीन गठित मेघालय स्वायत्त राज्य की विधान सभा के अथवा धारा 27 में निर्दिष्ट मेघालय राज्य की अन्तिम विधान सभा के ऐसे छह सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति, देश द्वारा, नामनिर्दिष्ट करेः

परन्तु किसी सहयुक्त सदस्य को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार न होगा ।

(3) यदि सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, यदि साध्य हो तो, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया किसी विधान सभा का सदस्य उस दशा को छोड़ कर जब वह किसी निरर्हता उपगत करने के परिणामस्वरूप ऐसी विधान सभा का सदस्य न रह जाता है, इस बात के होते हुए भी कि वह ऐसी विधान सभा का सदस्य नहीं रह जाता, सहयुक्त सदस्य बना रहेगा ।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, किसी ऐसे संयुक्त सदस्य की विसम्मत-प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हो, जो उनका प्रकाशन चाहता है, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विर्निर्दिष्ट हो जिसकी या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सब आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों ;

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात एक या अधिक आदेश द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा, और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और किसी न्यायालय में उस पर या उन पर आपत्ति नहीं की जाएगी ।

(6) ऐसा प्रत्येक आदेश ऐसे प्रकाशन के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

23. परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 22 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या उसमें अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या आदेशों में वर्णित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए वहां ऐसा संशोधन, जो ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अधिसूचना जारी की जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

24. अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण— मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, उन राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ करने की दृष्टि से, इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले की गई सभी बातें और कार्यवाहियां, जहां तक कि वे धारा 22 और 23 के उपबन्धों के अनुरुप हों, उन धाराओं के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो वे धाराएं उस समय प्रवृत्त थीं जब ऐसी बातें या कार्यवाहियां की गई थीं ।

25. अनुसूचित जाति आदेशों का संशोधन—(1) नियत दिन से ही संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन उसी रूप में हो जाएगा जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है ।

(2) नियत दिन से ही संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप से संशोधित हो जाएगा ।

26. अनुसूचित जनजाति आदेशों का संशोधन—(1) नियत दिन से ही संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप से संशोधित हो जाएगा ।

(2) नियत दिन से ही संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट रूप से संशोधित हो जाएगा ।

27. मेघालय राज्य की अनंतिम विधान सभा के बारे में तथा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की विधान सभाओं की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियमों के बारे में उपबंध—(1) नियत दिन से ही और मेघालय राज्य की विधान सभा के सम्यक् रूप से गठित किए जाने और संविधान के उपबन्धों के अधीन प्रथम सत्र के लिए अधिवेशित होने के लिए समन किए जाने तक मेघालय स्वायत्त राज्य की वह अनंतिम विधान सभा, जिसमें से उसके लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य अपवर्जित होंगे और जो आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 62 के अधीन गठित हो और नियम दिन के ठीक पहले कृत्य कर रही हो, मेघालय राज्य की अनंतिम विधान सभा होगी और वह सभा उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी जो संविधान के उपबन्धों द्वारा उस राज्य की विधान सभा को प्रदत्त हो:

परन्तु इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मेघालय स्वायत्त राज्य को उक्त अनन्तिम विधान सभा में संयुक्त खासी-जयन्तियां पहाड़ी स्वायत्त जिले का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य धारा 5 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य समझा जाएगा ।

(2) मेघालय राज्य की अनन्तिम विधान सभा के सदस्यों की पदावधि, जब तक कि उक्त विदान सभा जल्दी ही विघटित न कर दी जाए, मेघालय राज्य की विधान सभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले समाप्त हो जाएगी ।

(3) वे व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पहले, मेघालय स्वायत्त राज्य की अनंतिम विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हों मेघालय राज्य की अनंतिम विधान सभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ।

(4) मेघालय स्वायत्त राज्य की अनंतिम विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, जैसे वे नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त हों, मेघालय राज्य की अंनतिम विधान सभा और संविधान के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से गठित मेघालय राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन, जो उनमें संबद्ध विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाएं, तब तक रहेंगे जब तक कि अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम न बनाए जाएं ।

(5) मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियम, जैसे वे भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 16 अक्तूबर, 1969 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 4223 के साथ तारीख 16 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके विघटन के ठीक पहले प्रवृत्त हों, मणिपुर राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियम ऐसे उपान्तरों और अनुकूलनों के अधीन, जो उनमें उस राज्य के राज्यपाल द्वारा के जाएं, तब तक रहेंगे जब तक कि अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम न बनाए जाएं ।

(6) त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियम, जैसे वे 1 नवम्बर, 1971 के ठीक पहले प्रवृत्त हों, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियम ऐसे उपान्तरों और अनुकूलनों के अधीन, जो उनमें उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किए जाएं, तब तक रहेंगे जब तक कि अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम न बनाए जाएं ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

28. आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए सामान्य उच्च न्यायालय—(1) नियत दिन से ही—

(क) आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय कार्य नहीं करेगा और इसके द्वारा उसका उत्सादन किया जाता है ;

(ख) आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होगा जो गोहाटी उच्च न्यायालय (आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय) कहलाएगा ;

(ग) आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीश, जो उस दिन के ठीक पहले पद धारण कर रहे हों, जब तक कि वे अन्यथा चयन न करें, उस दिन को सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगेः

[2][परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ही सामान्य उच्च न्यायालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा और मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों के लिए उसकी अधिकारिता, शक्तियां तथा प्राधिकार समाप्त हो जाएंगे ।]

(2) उपधारा (1) के खंड (क) की कोई बात नियत दिन के पहले आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय द्वारा, उस समय उस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के अधीन तामील की गई किसी सूचना, निकाले गए किसी व्यादेश, दिए गए किसी निदेश या की गई किसी कार्यवाही के निरन्तर प्रवर्तन पर कोई प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

[3][**28क. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए पृथक् उच्च न्यायालयों की स्थापना—**(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ही—

(क) मेघालय उच्च न्यायालय के नाम से ज्ञात मेघालय राज्य के लिए;

(ख) मणिपुर उच्च न्यायालय के नाम से ज्ञात मणिपुर राज्य के लिए;

(ग) त्रिपुरा उच्च नायायलय के नाम से ज्ञात त्रिपुरा राज्य के लिए,

एक उच्च न्यायालय होगा ।

(2) मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान क्रमशः ऐसे स्थल पर होगा जो राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करे ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड न्यायालय, क्रमशः मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में, उनके प्रधान स्थान से भिन्न ऐसे अन्य स्थल या स्थलों पर बैठ सकेंगे जो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन से, नियत करे ।

28ख. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश—(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाले सामान्य उच्च न्यायालय के उतने न्यायाधीश, जितने उनके विकल्प अभिनिश्चित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किए जाएं, ऐसे प्रारंभ पर, सामान्य उच्च न्यायालय के

---

[2]. 2012 की अधिनियम सं॰ 26 द्वारा धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] 2012 की अधिनियम सं॰ 26 द्वारा धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

न्यायाधीश नहीं रहेंगे और, यथास्थिति, मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे ।

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो उपधारा (1) के आधार पर मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया है, उस दशा के सिवाय जहां किसी ऐसे व्यक्ति को, उन उच्च न्यायालयों में से किसी का मिख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया जाता है, सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी संबंधित नियुक्तियों की पूर्विकता के अनुसार रैंक होगा ।

28ग. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता—मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर राज्य और त्रिपुर उच्च न्यायालय को, क्रमशः मेघालय राज्य, मणिपुर राज्य और त्रिपुरा राज्य में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग के संबंध में ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त विधि के अधीन, सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा उक्त राज्यक्षेत्रों के उस भाग के संबंध में, प्रयोक्तव्य हों ।

28घ. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों की मुद्रा की अभिरक्षा—सामान्य उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरों सहित, यथास्थिति, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी ।

28ङ. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों में पद्धति और प्रक्रिया— सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धित और प्रक्रिया के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरों सहित, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और तदनुसार मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में क्रमशः नियम बनाने और आदेश करने की ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्त्तव्य होः

परंतु ऐसे कोई नियम या आदेश जो, सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति या प्रक्रिया के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं, जब तक, यथास्थिति, मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों द्वारा उनमें फेरफार या उनको प्रतिसंहृत न किया जाए, क्रमशः, तब तक मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक उपान्तरों सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे नियम और आदेश संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए थे ।

28च. रिटों और अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप— सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरों सहित मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी ।**]**

28छ. न्यायाधीशों की शक्तियां— सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में तथा उन शक्तियों के प्रयोग के आनुषंगिक सभी विषयों के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरों सहित मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी ।

28ज. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया— सामान्य उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों तथा खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों से संबंधित पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां, (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरों सहित मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों के संबंध में लागू होगी ।

28झ. सामान्य उच्च न्यायालय से कार्यवाहियों का मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों को अंतरण— (1) जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है, उसके सिवाय सामान्य उच्च न्यायालय को, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ही मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ठीक पहले सामान्य उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियां, जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के स्थान और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस दिन के पहले या उसके पश्चात् ऐसी कार्यवाहियों के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिनकी, यथास्थिति, मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई या विनिश्चय किया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणन के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय को अंतरित हो जाएगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में या धारा 28क में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, सामान्य उच्च न्यायालय को अपीलों, उच्चतम न्यायालय में इजाजत के लिए आवेदनों, पुनर्विलोकन और अन्य कार्यवाहियों के

लिए जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से पहले सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में अनुतोष पाने वाली ऐसी कार्यवाहियां हों, को ग्रहण करने, उनकी सुनवाई करने या उनका निपटारा करने की अधिकारिता होगी और मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगीः

परन्तु यदि, सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को ग्रहण किये जाने के पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को यह प्रतीत होता है कि उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाना चाहिए तो वह आदेश करेगा कि उन्हें इस प्रकार अंतरित कर दिया जाए और तत्पश्चात ऐसी कार्यवाहियां तद्नुसार अंतरित हो जाएंगी ।

(4) सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा, —

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से पहले उपधारा (2) के आधार पर मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय को अंतरित किन्हीं कार्यवाहियों में; या

(ख) किसी ऐसी कार्यवाही के संबध में, जिसकी बाबत उपधारा (3) के आधार पर सामान्य उच्च न्यायालय अधिकारिता प्रतिधारित करता है,

किया गया कोई आदेश, सभी प्रयोजनों के लिए, न केवल सामान्य उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में किंतु, यथास्थिति, मेघालय उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा ।

28ञ. निर्वचन— धारा 28ज के प्रयोजार्थ,—

(क) कार्यवाहियां, न्यायालय में तब तक लंबित समझी जाएंगी जब तक उस न्यायालय ने पक्षकारों के बीच सभी विवाद्यकों का, जिनके अंतर्गत कार्यबाहियों के खर्चों के विनिर्धारण की बाबत कोई विवाद्यक भी है, निपटारा न कर दिया हो और इसके अंतर्गत अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिटों के लिए अर्जियां भी हैं ; और

(ख) उच्च न्यायालय को प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत उसके न्यायाधीश या खंड न्यायालय के प्रति निर्देश भी हैं तथा न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश का अर्थ

28ट. व्यावृत्ति— धारा 28क से धारा 28ञ (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित है) की किसी बात का प्रभाव संविधान के किन्हीं उपबंधों के, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय को लागू होने पर नहीं पडेगा और इन धाराओं के उपबंध, किसी ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिसे संबंधित उच्च न्यायालय के संबंध में ऐसे उपबंध बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधान-मंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् बनाए जाएं ।**]**

29. सामान्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता—नियत दिन से ही सामान्य उच्च न्यायालय को आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों से समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के बारे में ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त विधि के अधीन, यथास्थिति, आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय या मणिपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय या त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय द्वारा उन राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रयोक्तव्य हों ।

30. कुछ न्यायालयों का उत्सादन–(1) नियत दिन से ही मणिपुर और त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय कार्य नहीं करेंगे और इसके द्वारा उनका उत्सादन किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात नियत दिन के पहले उस उपधारा द्वारा उत्सादित न्यायालयों द्वारा, उस समय उस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के अधीन तामील की गई किसी सूचना, निकाले गए किसी व्यादेश, दिए गए किसी निदेश या की गई किन्हीं कार्यवाहियों के निरन्तर प्रवर्तन पर कोई प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

31. सामान्य उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान और उसकी बैठक के अन्य स्थल— (1) सामान्य उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान उसी स्थल पर होगा जहां नियत दिन से ठीक पहले आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान था ।

(2) राष्ट्रपति सामान्य उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायपीठ या न्यायपीठों की स्थापना, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर जिन पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है, एक या अधिक ऐसे स्थलों पर, जो उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से भिन्न स्थान पर हों, तथा तत्सम्बन्धी किन्हीं मामलों का उपबन्ध अधिसूचित आदेश द्वारा कर सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश जारी करने के पहले राष्ट्रपति सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति से तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा जिसमें न्यायपीठ या न्यायपीठों को स्थापित करने की प्रस्थापना है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड न्यायालय [4][आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड] राज्य में ऐसे अन्य स्थल या स्थलों पर भी बैठ सकेंगे जो मुख्य न्यायाधिपति, सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन से, नियत करें ।

32. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों पर सामान्य उच्च न्यायालय को अधिकारिता का विस्तारण—नियत दिन से ही सामान्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों पर हो जाएगाः

[5][परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से ही इस धारा के उपबंधों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।]

33. सामान्य उच्च न्यायालय के व्यय का आबंटन—सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बाबत व्यय [6][आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड] राज्यों तथा संघ के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करें ।

34. अधिवक्ताओं और विधिज्ञ परिषद् के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—(1) सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम अथवा दिए गए किसी निदेश के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय में या मणिपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में या त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता है, सामान्य उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि –व्यवसाय करने का हकदार होगा ।

(2) सामान्य उच्च न्यायालय में सुने जाने के अधिकार का विनियमन उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा, जो आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय में सुने जाने के अधिकार के संबंध में नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त होः

परन्तु जहां तक आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के महाधिवक्ताओं के सुने जाने के अधिकार का सम्बन्ध है वहां तक अधिवक्ताओं के रूप में उन के नामावलिगत किए जाने की तारीख के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा ।

(3) नियत दिन से ही अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् अधिवक्ता अधिनियम कहा गया है) धारा 3 की,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

"(ख) आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों के लिए होगी, जो आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात होगी ।"

(ii) खंड (ङ) में "त्रिपुरा तथा अन्दमान और निकोबर द्वीप संघ राज्यक्षेत्रों" शब्दों के स्थान पर "अन्दमान और निकोबर द्वीप संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगें ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) में, "आसाम विधिज्ञ परिषद्," शब्दों के स्थान पर "आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् " शब्द रखे जाएंगे ।

(4) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 17 के उपबन्ध आसाम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् की नामावलि के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगेः—

(क) उक्त धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

"(क) वे सभी व्यक्ति, जो—

(i) आसाम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद् की नामावलि में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा (2) के खंड (ख) के अधीन, नियत दिन के ठीक पूर्व, अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज थे;

(ii) जो पश्चमी बंगाल की विधिज्ञ परिषद् की नामवलि में उस दिन के ठीक पूर्व अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज थे और जो उस दिन से तीन मास के भीतर, ऐसी रीति से, जो भारत की विधिज्ञ परिषद्

---

[4] 2012 की अधिनियम सं॰ 26 द्वारा धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 2012 की अधिनियम सं॰ 26 द्वारा धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

[6] 2012 की अधिनियम सं॰ 26 द्वारा धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नियमों द्वारा विहित करे, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् की अधिकारिता के भीतर विधि-व्यवसाय करने का अपना आशय लिखित रूप में व्यक्त करें,";

(ख) उक्त धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में, "विदिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 के अधीन अपने नामांकन की तारीख के अनुसार शब्दों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति, आसाम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद् अथवा पश्चिमी बंगाल की विधित्र परिषद् की नामावलि में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे ।

(5) उपधारा (3) और (4) द्वारा यथासंशोधित या उपान्तरित अधिवक्ता अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उस अधिनियम के अधीन आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की प्रथम विधिज्ञ परिषद् की दशा में, उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अपेक्षित पन्द्रह सदस्य, सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उन अधिवक्ताओं में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो अधिकारपूर्वक उस उच्च न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने के हकदार हों और आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के भीतर साधारणतः विधि-व्यवसाय कर रहे हों तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि परिषद् की प्रथम बैठक की तारीख से एक वर्ष अथवा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनके उत्तरवर्तियों के सम्यक् रूप से निर्वाचित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, जो पश्चिमी बंगाल की विधिज्ञ परिषद् की नामवलि में से आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् की नामवलि में उपधारा (4) द्वारा यथासंशोधित अधिवक्ता अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार दर्ज किए गए हैं, उस तारीख या उन तारीखों से जिसको या जिनको कि उनके नाम इस प्रकार दर्ज किए गए हैं, पश्चिमी बंगाल की विधिज्ञ परिषद् से हटा दिए जाएंगे;

(ग) ऐसी कोई कार्यवाही, जो उपधारा (4) द्वारा संशोधित अधिवक्ता अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् की नामवलि में किसी व्यक्ति के दर्ज किए जाने के ठीक पहले किसी व्यक्ति के विरुद्ध आसाम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद् के समक्ष लम्बित हो या उसके द्वारा संस्थित की गई हो, ऐसे दर्ज किए जने के पश्चात् साम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् के समक्ष या उसके द्वारा जारी रखी जा सकेगी या संस्थित की जा सकेगी;

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो खंड (ख) के उपबन्धों के अनुसार पश्चिमी बंगाल की विधिज्ञ परिषद् की नामावलि से अपना नाम हटा दिए जाने के ठीक पहले, पश्चिमी बंगाल की विधिज्ञ परिषद् का सदस्य है, उस तारीख से ही, जिसको कि उस विधिज्ञ परिषद् की नामावलि से उसका नाम इस प्रकार हटा दिया जाता है, उस परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा;

(ङ) वे नियम, जो आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की प्रथम विधिज्ञ परिषद् का खंड (क) के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से गठन किए जाने के, ठीक पहले आसाम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए या बनाए समझे गए हों और प्रवृत्त हों, ऐसे उपान्तरों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किए जाएं, उस विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियम समझे जाएंगे और तदनुसार प्रभावी होंगे ।

(6) (क) नियत दिन से ही आसाम और नागालैंय की विधिज्ञ परिषद् की आस्तियां और दायित्व आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् को संक्रांत हो जाएंगे ।

(ख) पश्चिमी बंगाल की विधिज्ञ परिषद् की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन उस विधिज्ञ परिषद् और आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की विधिज्ञ परिषद् के बीच ऐसी रीति से और ऐसे अनुपात में किया जाएगा जिसके लिए वे विधिज्ञ परिषदें सहमत हो जाएं और यदि किसी विषय के बारे में कोई सहमति नहीं है तो वह मामला भारत की विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण—उन पदों के, जो इस धारा में प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, , वही अर्थ होंगे जो अधिवक्ता अधिनियम में हैं ।

35. सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया— इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में लागू होगी ।

36. सामान्य उच्च न्यायलय की मुद्रा की अभिरक्षा—आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के सम्बन्ध में नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी ।

37. रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप—आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त विधि आवश्यक उपान्तरों सहित सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त को जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी ।

38. न्यायाधीशों की शक्तियां—आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, एकल न्यायाधीशों तथा खंड न्यायालयों की शक्तियों के सम्बन्ध में तथा उन शक्तियों के प्रयोग के अनुषंगिक सभी विषयों के सम्बन्ध में, नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त विधि आवश्यक उपान्तरों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में लागू होगी ।

39. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया—आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों से सम्बन्धित जो विधि नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त हो, वह आवश्यक उपान्तरों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में लागू होगी ।

40. आसाम और नागालैंड के उच्च न्यायालय तथा न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों से कार्यवाहियों का सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरण—(1) आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय में तथा मणिपुर और त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों में, नियत दिन के ठीक पहले लम्बित सब कार्यवाहियां, उस दिन से सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरित हो जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तरित हर एक कार्यवाही सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निपटायी जाएगी मानो वह कार्यवाही उस उच्च न्यायालय द्वारा ही ग्रहण की गई हो ।

(3) आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय या मणिपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय या त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का कोई आदेश, जो नियत दिन के ठीक पहले उसके द्वारा किया गया हो, सभी प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, केवल उस उच्च न्यायालय या उस न्यायालय के आदेश के रूप में ही नहीं अपितु सामान्य उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा ।

41. निर्वचन—धारा 40 के प्रयोजनार्थ—

(क) कार्यवाहियां न्यायालय में तब तक लम्बित समझी जाएंगी जब तक उस न्यायालय ने पक्षकारों के बीच सभी विवाद्यकों का, जिनके अन्तर्गत कार्यवाहियों के खर्चों के विनिर्धारण की बाबत विवाद्यक भी है, निपटारा न कर दिया हो और इसके अन्तर्गत अपीलें, उच्च न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिटों के लिए अर्जियां भी है ; तथा

(ख) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उसके न्यायाधीश या खंड न्यायालय के प्रति निर्देश भी है, तथा न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत उस न्यायालय का न्यायाधीश द्वारा पारित या किया गया कोई दण्डादेश, निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश भी है ।

42. सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरित कार्यवाहियों में हाजिर होने या कार्य करने का अधिकार—किसी ऐसे व्यक्ति को, जो नियत दिन के ठीक पहले आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय में या मणिपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में या त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता है और जो धारा 40 के अधीन उक्त न्यायालय या न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों से सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरित किन्हीं कार्यवाहियों में हाजिर होने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत था, यह अधिकार होगा कि वह उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सामान्य उच्च न्यायालय में, यथास्थिति, हाजिर हो या कार्य करे ।

43. व्यावृत्तियां—इस भाग की किसी बात का प्रभाव संविधान के किन्हीं उपबन्धों के सामान्य उच्च न्यायालय को लागू होने पर नहीं पडेगा तथा यह भाग किसी ऐसे उपबन्ध के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जिसे ऐसा उपबन्ध करने की शक्ति रखने वाला कोई विधान मंडल या अन्य प्राधिकारी नियत दिन को या उसके पश्चात् उस उच्च न्यायालय की बाबत बनाएं।

भाग 5

व्यय का प्राधिकरण और राजस्व का वितरण

44. विधान मंडलों की मंजूरी होने तक व्यय का प्राधिकरण—(1) राष्ट्रपति नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए, जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य की संचित निधि में से ऐसा व्यय, जो वह आवश्यक समझे, नियत दिन के पहले किसी समय आदेश द्वारा तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक कि ऐसा व्यय, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य की विधान सभा द्वारा मंजूर न कर दिया जाए:

परन्तु मणिपुर का या त्रिपुरा का राज्यपाल किसी सी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के बाद की न हो, यथास्थिति, मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, जो वह आवश्यक समझे, नियत दिन के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, राष्ट्रपति या सम्बद्ध राज्य का राज्यपाल विभिन्न वित्तीय वर्षों में पडने वाली अवधियों की बाबत उपधारा (1) के अधीन पृथक-पृथक् आदेश करेंगे ।

(3) आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) के आधार पर मेघालय के स्वायत्त राज्य के सम्बन्ध में राज्यपाल के रूप में कृत्य करते हुए आसाम का राज्यपाल नियत दिन के पहले किसी समय मेघालय राज्य की संचित निधि में से नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए, जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, ऐसा व्यय, जो वह आवश्यक समझे, तब तक के लिए आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा जब तक कि ऐसा व्यय मेघालय की विधान सभा द्वारा मंजूर न कर दिया जाए:

परन्तु मेघालय का राज्यपाल किसी ऐसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के बाद की न हो, मेघालय राज्य की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, जो वह आवश्यक समझे, नियत दिन के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट राज्यपाल विभिन्न वित्तीय वर्षों में पड़ने वाली अवधियों की बाबत उस धारा के अधीन पृथक-पृथक आदेश करेंगे ।

(5) राष्ट्रपति नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए, जो छह मास से अधिक की नही होगी, भारत की संचित निधि में से ऐसा व्यय, जो वह मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के कार्यों के प्रशासन के लिए आवश्यक समझे, संसद् द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी होने तक, नियत दिन के पहले या पश्चात् किसी भी समय आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा ।

(6) राष्ट्रपति विभिन्न वित्तीय वर्षों में पड़ने वाली अवधियों की बाबत उपधारा (5) के अधीन पृथक-पृथक आदेश करेंगे ।

45. अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के व्यय के लिए धन का विनियोग—भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के लिए संसद् द्वारा पारित किया गया कोई ऐसा अधिनियम, जो संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग ख में विनिर्दिष्ट आसाम के जनजाति क्षेत्रों में या उनके प्रयोजनार्थ, वित्तीय वर्ष 1971-72 के किसी भाग की बाबत किसी व्यय को पूरा करने के लिए है, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में भी प्रभावी होगा और राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस रकम में से कोई रकम, जो उक्त जनजाति क्षेत्रों में या उनके प्रयोजनार्थ व्यय किए जाने के लिए उस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उस संघ राज्यक्षेत्र में या उसके प्रयोजनार्थ खर्च करें ।

46. मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों के लेखाओं के सम्बन्ध में रिपोर्टें—(1) नियत दिन के पहले की किसी अवधि के सम्बन्ध में मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र के या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के लेखाओं की बाबत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें, जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 49 में निर्दिष्ट है, यथास्थिति, मणिपुर के या त्रिपुरा के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी और वह उन्हें, यथास्थिति, मणिपुर राज्य की या त्रिपुरा राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाएगा ।

(2) यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा का राज्यपाल, आदेश द्वारा,—

(क) वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान नियत दिन के ठीक पहले किसी अवधि की बाबत या किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की बाबत किसी सेवा पर, मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से उस रकम से अधिक उपगत किसी व्यय को, जो उस संवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकम से अधिक हो और जैसा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में प्रकट हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत घोषित कर सकेगा, तथा

(ख) उक्त रिपोर्टों से उठने वाले किसी विषय पर कोई कार्रवाई की जाने के लिए उपबन्ध कर सकेगा ।

47. मेघालय स्वायत्त राज्य के लेखाओं के सम्बन्ध में रिपोर्टें—(1) नियत दिन के पहले किसी अवधि के सम्बन्ध में मेघालय स्वायत्त राज्य के लेखाओं की बाबत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें मेघालय के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी और वह उन्हें मेघालय राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाएगा ।

(2) मेघालय का राज्यपाल, आदेश द्वारा,—

(क) वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान नियत दिन के ठीक पहले किसी अवधि की बाबत या किसी पूर्ववर्ती नित्तीय वर्ष की बाबत किसी सेवा पर, मेघालय स्वायत्त राज्य की संचित निधि में से उस रकम से अधिक उपगत किसी व्यय को, जो उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकम से अधिक हो और जैसा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में प्रकट हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत घोषित कर सकेगा, तथा

(ख) उक्त रिपोर्टों से उठने वाले किसी विषय पर कोई कार्रवाई की जाने के लिए उपबन्ध कर सकेगा ।

48. आसाम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार— आसाम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार, जब तक अनुच्छेद 158 के खंड (3) के अधीन संसद् विधि द्वारा इस निमित्त उपबन्ध न करे, तब तक वे ही होंगे जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करे ।

49. राजस्व का वितरण—राष्ट्रपति आदेश द्वारा, आसाम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान का तथा ऐसे हर राज्य का संघ उत्पाद-शुल्क, सम्पदा शुल्क और आय पर कर में अंश का अवधारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962, (1962 का 3) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957, (1957 का 58) सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 (1962 का 9) और संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1969 संविधान आ॰ 87 के सुसंगत उपबन्धों का ऐसी रीति से संशोधन करेगा जो वह ठीक समझे ।

भाग 6

आस्तियां और दायित्व

50. मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की सम्पत्ति, आस्तियां, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं आदि—(1) मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के भीतर की सभी ऐसी सम्पत्ति और आस्तियां, जो नियत दिन के ठीक पहले संघ द्वारा उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के प्रयोजनार्थ धारित हों, उस दिन से ही, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्यों को, संक्रांत हो जाएंगी, किन्तु तब नहीं जब कि वे प्रयोजन, जिनके लिए ऐसी सम्पत्ति और आस्तियां इस प्रकार धारित है, संघ के प्रयोजन है:

परन्तु नियत दिन के पहले मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के खजानों में नकद अतिशेष उस दिन से ही, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य में निहित हो जाएंगे ।

(2) सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं (संघ के किसी प्रयोजन से सम्बन्धनीय या संसक्त अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं से भिन्न), चाहे वे संविदा से उत्पन्न होती हो या अन्यथा हों, जो नियत दिन के ठीक पहले,—

(क) मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हों; अथवा

(ख) मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन की हैसियत से उसके अथवा मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हों,

नियत दिन से ही, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हो जाएंगी ।

3. किसी ऐसे—

(क) कर या शुल्क का, जो संविधान की सप्तम् अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित कर या शुल्क है, अथवा

(ख) शुल्क का, जो संविधान के अनुच्छेद 268 में निर्दिष्ट है, अथवा

(ग) कर का, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन है,

और जो नियत दिन के ठीक पहले मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र में देय हो गया हो, बकाया वसूल करने का अधिकार उस दिन से ही, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य को संक्रात हो जाएगा ।

(4) इस धारा के उपबन्ध निम्नलिखित को या उनके सम्बन्ध में लागू न होंगे,—

(क) कोई संस्था, उपक्रम अथवा परियोजना जिसके सम्बन्ध में व्यय, नियत दिन के ठीक पहले, भारत की संचित निधि में से किया जाता हो;

(ख) कोई सम्पत्ति, जिसे संघ ने मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन को इस शर्त के अधीन दी हो कि उसका स्वामित्व संघ में ही निहित रहेगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "दायित्व" के अन्तर्गत किसी सिविल निक्षेप, स्थानीय निधि निक्षेप, खैराती या अन्य विन्यास, भविष्य निधि लेखा, पेंशन या अनुयोज्य दावे की बाबत कोई दायित्व भी है;

(ख) "संघ के प्रयोजनों" से सरकार के वे प्रयोजन अभिप्रेत है जो संविधान की सप्तम अनुसूची में संघ सूची में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बन्धनीय हों ।

51. मेघालय राज्य की आस्तियां और दायित्व—(1) सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं, चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न होती हों या अन्यथा हों, जो नियत दिन के ठीक पहले मेघालय के स्वायत्त राज्य के अधिकार दायित्व और बाध्यताएं हों, जिनके अन्तर्गत वे अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भी है जो आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 58 के आधार पर मेघालय स्वायत्त राज्य के अंश में प्रभाजित की गई हों या प्रभाजित की जानी हों, नियत दिन से ही मेघालय राज्य के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हो जाएंगी ।

(2) मेघालय स्वायत्त राज्य द्वारा नियत दिन के ठीक पहले धारित सभी सम्पत्ति और आस्तियां, जिनके अन्तर्गत वह सम्पत्ति और आस्तियां भी है, जो आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 58 के आधार पर मेघालय स्वायत्त राज्य के अंश में प्रभाजित की गई हों या प्रभाजित की जाने वाली हों, उस दिन से ही मेघालय राज्य को संक्रांत हो जाएंगी ।

(3) इस धारा की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 52 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं, चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न होती हों या अन्यथा हों, जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हों तथा विद्यमान आसाम राज्य द्वारा नियत दिन के ठीक पहले धारित सभी सम्पत्ति और आस्तियां आसाम राज्य और मेघालय राज्य के बीच, छठी अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, प्रभाजित की जाएंगी ।

52. मीजो जिले से सम्बद्ध आस्तियां और दायित्व (जिनके अन्तर्गत लोक ऋण भी हैं)—(1) मीजो जिले के भीतर सभी सम्पत्ति और आस्तियां, जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य में निहित हों, उस दिन से ही संघ में निहित हो जाएंगी ।

(2) जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, विद्यमान आसाम राज्य का कोई सामान, वस्तुएं और अन्य माल, जो नियत दिन के ठीक पहले मीजो जिले के बाहर स्थित हो, उस दिन से ही संघ को उस दशा में संक्रांत हो जाएगा जब ऐसा सामान, वस्तुएं या अन्य माल उस जिले के प्रशासन के लिए धारित हो या उससे सम्बन्धनीय हो ।

(3) मीजो जिले के सम्बन्ध में विद्यमान आसाम राज्य के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं, उस दिन से ही संघ के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हो जाएंगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार से विद्यमान आसाम राज्य द्वारा लिए गए उधारों की बाबत उस राज्य के संघ के प्रति दायित्व में उतनी रकम कम कर दी जाएगी जिसका नियत दिन के ठीक पहले उस राज्य के कुल लोक ऋण से उतना अनुपात हो जितना मीजो जिले में विद्यमान आसाम राज्य द्वारा उस दिन तक सभी पूंजी संकर्मों तथा अन्य पूंजी लागतों पर उपगत किए गए या उपगत समझे गए कुल व्यय का उस कुल व्यय से दो जो विद्यमान आसाम राज्य द्वारा नियत दिन तक सभी पूंजी संकर्मों और अन्य पूंजी लागतों पर उपगत किया गया है या उपगत समझा गया है:

परन्तु इस धारा के प्रयोजनों के लिए विद्यमान आसाम राज्य के कुल लोक ऋण में से वह लोक ऋण अपवर्जित होगा जो आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 58 के अधीन मेघालय स्वायत्त राज्य को प्रभाजित किया गया हो या प्रभाजित करने योग्य हो, और विद्यमान आसाम राज्य द्वारा सभी पूंजी संकर्मों तथा अन्य पूंजी लागतों पर उपगत किए गए या उपगत समझे गए कुल व्यय में से वे लागतें अपवर्जित कर दी जाएंगी जो उक्त धारा के अधीन स्वायत्त राज्य के प्रयोजनार्थ उपगत की गई हो या उपगत समझी गई हो ।

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी रकम को लागू न होगी जो मीजो जिले में आन्तरिक उपद्रव के सम्बन्ध में आसाम राज्य द्वारा किए गए किसी व्यय की बाबत उस राज्य को संघ द्वारा संदेय हो ।

भाग 7
कुछ निगमों के बारे में उपबन्ध

53. कुछ निगमों के बारे में उपबन्ध—(1) विद्यमान आसाम राज्य के लिए गठित निम्नलिखित निगमित निकाय, अर्थात:

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्ड; तथा

(ख) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन स्थापित राज्य भांडागारण निगम,

नियत दिन से ही उन क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वे उस दिन के ठीक पहले कार्य करते थे, इस धारा के उपबन्धों के और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए कार्य करते रहेंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये जाएं ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या निगम की बाबत जारी किए गए निदेशों के अन्तर्गत ऐसा निदेश भी हो सकेगा कि वह अधिनियम, जिसके अधीन बोर्ड या निगम गठित हुआ, उस बोर्ड या निगम को लागू होने में ऐसे अपवादों और उपान्तरों सहित प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ठ बोर्ड या निगम नियत दिन से अड़तीस मास की अवधि के अवसान पर या ऐसी पूर्वतर तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, नियत करे, कार्य करना बंद कर देगा और उस तारीख से विघटित समझा जाएगा; और ऐसे विघटन पर उनकी आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच में प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाएगा जो, यथास्थिति, बोर्ड या निगम के विघटन के एक वर्ष के भीतर उनमें करार पाई जाए, या यदि कोई करार न हो पाए तो प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे ।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी की सरकार को नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी समय राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य भांडागारण निगम से सम्बन्धित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसा बोर्ड या निगम उस राज्य के लिए गठित करने से निवारित करती है, और यदि उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में ऐसे बोर्ड या निगम का इस प्रकार गठन उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम के विघटन से पहले किया जाता है तो,—

(क) उस राज्य में विद्यमान बोर्ड या निगम से उसके सभी उपक्रम, आस्तियां, अधिकार और दायित्व या उतमें से कोई ग्रहण करने के लिए नए बोर्ड या निगम को समर्थ बनाने के लिए उपबन्ध केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा किया जा सकेगा, तथा

(ख) विद्यमान बोर्ड या निगम के विघटन पर,—

(i) ऐसी आस्तियां, अधिकार और दायित्व जो अन्यथा उपधारा (3) के उपबंधों के कारण या अधीन उस राज्य को संक्रांत हो जाने चाहिए थे, उस राज्य की बजाय नए बोर्ड या नए निगम को संक्रांत हो जाएंगे;

(ii) ऐसे कर्मचारी, जो उपधारा (5) के खंड (i) के साथ पठित उपधारा (3) के अधीन उस राज्य को अन्यथा स्थानान्तरित हो जाते या उस राज्य द्वारा इस प्रकार पुनर्नियुक्त किए जाते, उस राज्य की बजाय नए बोर्ड या नए निगम को स्थानान्तरित हो जाएंगे या उसके द्वारा पुनर्नियुक्त किए जाएंगे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन उत्तरवर्ती राज्यों के बीच किए गए करार में और उस उपधारा के अधीन या उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम के कर्मचारियों के,—

(i) उपधारा (3) के अधीन किसी करार या उस उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश की दशा में उत्तरवर्ती राज्यों को या उनके द्वारा;

(ii) उस उपधारा के खंड (क) के अधीन किए गए किसी आदेश की दशा में, उपधारा (4) के अधीन गठित नए बोर्ड या नए निगम को या उसके द्वारा,

अन्तरण या पुनर्नियोजन का और धारा 58 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे स्थानान्तरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् ऐसे कर्मचारियों को लागू सेवा के निबन्धनों और शर्तों का भी उपबन्ध किया जा सकेगा ।

54. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जलप्रदाय के बारे में इन्तजाम का बना रहना—यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन या प्रदाय या जल-प्रदाय के बारे में अथवा ऐसे उत्पादन या प्रदाय के लिए किसी परियोजना के निष्पादन के बारे में इन्तजाम उस क्षेत्र के लिए अहितकर हो गया है या होना सम्भाव्य है कि वह क्षेत्र भाग 2 के उपबन्धों के आधार पर उस राज्य से अन्तरित हो गया है, जिसमें, यथास्थिति, ऐसी शक्ति के उत्पादन और प्रदाय के लिए विद्युत स्टेशन या अन्य संस्थापन अथवा जल-प्रदाय के लिए आवासक्षेत्र, जलाशय या अन्य संकर्म स्थित है, तो केन्द्रीय सरकार पहले वाले इन्तजाम को यथासाध्य बनाए रखने के लिए ऐसे निदेश राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को दे सकेगी जो वह ठीक समझे ।

55. आसाम राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबन्ध—(1) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन स्थापित आसाम राज्य वित्तीय निगम, नियत दिन से हो, उन क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह उस दिन के ठीक पहले कार्य करता था, इस धारा के उपबन्धों और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए कार्य करता रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निगम के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अन्तर्गत ऐसा निदेश भी हो सकेगा कि उक्त अधिनियम, निगम को लागू होने में, ऐसे अपवादों और उपान्तरों के सहित प्रभावी होगा जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम का निदेशक बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निगम के, यथास्थिति, पुनर्गठन या पुनर्संगठन या विघटन की स्कीम के, जिसके अन्तर्गत नए निगमों के बनाए जाने और विद्यमान निगमों को स्तियों, अधिकार और दायित्व उसे अन्तरित किए जाने की प्रस्थापनाएं भी हैं, विचारार्थ नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय अधिवेशन बुला सकेगा और यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी अपेक्षा करती है तो बुलाएगा और यदि ऐसी स्कीम उपस्थित और मतदान करने वाले अंशधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा साधारण अधिवेशन में अनुमोदित कर दी जाती है तो वह स्कीम केन्द्रीय सरकार को उसको मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) यदि स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा उपान्तरों के बिना या ऐसे उपान्तरों के सहित, जो किसी साधारण अधिवेशन में अनुमोदित किए जाएं, मंजूर कर दी जाती है तो केन्द्रीय सरकार उस स्कीम को प्रमाणित करेगी और ऐसे प्रमाणन पर वह स्कीम, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों पर भी आबद्धकर होगी ।

(5) यदि स्कीम इस प्रकार अनुमोदित या मंजूर नहीं की जाती है तो केन्द्रीय सरकार उस स्कीम को सामान्य उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, जो उसके मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किया जाए, निर्देशित कर सकेगी और स्कीम के बारे में न्यायाधीश का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों पर भी आबद्धकर होगा ।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मेघालय राज्य की सरकार को नियत दिन के पश्चात किसी भी समय और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन उस राज्य के लिए एक राज्य वित्तीय निगम का गठन करने से निवारित करती है ।

56. कानूनी निगमों के बारे में साधारण उपबन्ध—(1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय यह है कि जहां विद्यमान आसाम राज्य या उसके किसी भाग के लिए किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय, भाग 2 के उपबन्धों के कारण, अन्तर्राज्यीय निगमित निकाय हो गया हो तो वह निगमित निकाय, जब तक कि उस निगमित निकाय के बारे में विधि द्वारा अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता है तब तक, उन सब क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह उस दिन के ठीक पहले कार्य करता था और सक्रिय था, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, कार्य करता रहेगा और सक्रिय रहेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे निगमित निकाय के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अन्तर्गत ऐसा निदेश भी हो सकेगा कि कोई विधि, जिसके द्वारा उक्त निगमित निकाय प्रशासित होता है, उस निगमित निकाय को लागू होने में ऐसे अपवादों और उपान्तरों के सहित प्रभावी होगी जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

57. कुछ विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबन्ध—(1) मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 में किसी बात के होते हुए भी विद्यमान आसाम राज्य में राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्र, यदि ऐसा अनुज्ञापत्र नियत दिन के ठीक पहले उसके भीतर किसी क्षेत्र में विधिमान्य और प्रभावी था, उस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त हो, उस क्षेत्र में उस दिन के पश्चात् विधिमान्य और प्रभावी बना रहा समझा जाएगा और ऐसे क्षेत्र में उपयोग के लिए उसे विधिमान्य करने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी अनुज्ञापत्र का किसी राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु केन्द्रीय सरकार उन शर्तों में, जो उसे अनुज्ञापत्र देने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र से संलग्न की गई हो, परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन सम्बद्ध राज्य सरकार या सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् कर सकेगी ।

(2) ऐसे किसी अनुज्ञापत्र के अधीन उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में चलाने के लिए, नियत दिन के पश्चात् किसी परिवहन यान की बाबत कोई पथकर, प्रवेश फीस या उसी प्रकार का कोई अन्य प्रभार उस दशा में उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे जिसमें उस यान को उस दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य के भीतर उसके चलाने के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के संदाय से छूट प्राप्त होः

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे किसी पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभार के उद्ग्रहण को सम्बद्ध राज्य सरकार या सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगी ।

58. कुछ मामलों में छंटनी प्रतिकर से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध—जहां इस अधिनियम के अधीन विद्यमान आसाम राज्य के पुनर्संगठन के कारण किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी या उस राज्य का कोई वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम किसी भी रीति से पुनर्गठित या पुनर्संगठित हो या किसी अन्य निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम से समामेलित किया जाए या विघटित किया जाए और ऐसे पुनर्गठन, पुनर्संगठन, समामेलन या विघटन के परिणामस्वरूप उस निगमित निकाय या उस सहकारी सोसाइटी या उस उपक्रम द्वारा नियोजित कोई कर्मकार किसी अन्य निगमित निकाय या अन्य सहकारी सोसाइटी या उपक्रम को अन्तरित हो या उसके द्वारा पुनर्नियोजित हो, वहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25च, 25चच, या 25चचच में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अन्तरण या पुनर्नियोजन उसे उस धारा के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगाः

परन्तु यह तब जबकि—

(क) ऐसे अन्तरण या पुनर्नियोजिन के पश्चात् उस कर्मकार को लागू होने वाले लागू होने वाले सेवा के निबन्धन और शर्तें अंतरण या पुनर्नियोजन के ठीक पहले उसे लागू होने वाले निबन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल न हों, तथा

(ख) उस निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम से, जहां कर्मकार अन्तरित या पुनर्नियोजित हो, सम्बन्धित नियोजक करार द्वारा या अन्यथा, उस कर्मकार को उसकी छंटनी की दशा में इस आधार पर कि उसकी सेवा चालू रही है और अन्तरण या पुनर्नियोजन द्वारा उसमें बाधा नहीं पडी है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25च, 25चच, या 25चचच के अधीन प्रतिकर का वैध रूप से देनदार हो ।

59. आय-कर के बारे में विशेष उपबन्ध—जहां कारबार चलाने वाले किसी निगमत निकाय की आस्तियां, अधिकार और दायित्व, किन्हीं ऐसे अन्य निगमित निकायों को इस भाग के उपबन्धों के अधीन अन्तरित किए जाते है, जो उस अन्तरण के पश्चात् वही कारबार चलाते हैं, वहां प्रथम वर्णित उस निगमित निकाय को हुई ऐसी हानि या लाभ या अभिलाभ को, जो यदि ऐसा अन्तरण न हुआ होता तो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 6 के उपबन्धों के अनुसार अग्रनीत किए जाने और मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात होते, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतरिती निगमित निकायों में प्रभाजित किया जाएगा और ऐसा प्रभाजन किए जाने पर प्रत्येक अन्तरिती निगमित निकाय को आबंटित हानि के अंश के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानों वह हानि अन्तरिती निगमित निकाय ने अपने द्वारा किए गए कारबार में उन वर्षों में स्वयं उठाई हो जिन वर्षों में वह हानि वास्तव में हुई हो ।

60. कुछ राज्यकीय संस्थाओं में प्रसुविधाओं का बना रहना—(1) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, यथास्थिति, आसाम राज्य या मेघालय राज्य या केन्द्रीय सरकार, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट और उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थित संस्थाओं के बारे में प्रसुविधाएं किसी पूर्वोक्त अन्य सरकार को या पूर्वोक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के लोगों को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर (जिनके अन्तर्गत ऐसी प्रसुविधाओं के लिए किए जाने वाले अभिदायों से सम्बन्धित निबन्धन और शर्तें भी हैं) देती रहेगी जो उक्त सरकारों के बीच नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पहले करार पाई जाएं, या यदि ऐसे अवसान के पहले कोई करार नहीं होता है तो जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा नियत करे तथा जो किसी भी प्रकार से ऐसी सरकार और लोगों के लिए उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न होंगी जो उन्हें नियत दिन के पहले दी जा रही थी ।

(2) केन्द्रीय सरकार नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पहले किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में, नियत दिन विद्यमान किसी अन्य संस्था को सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उक्त अनुसूची का संशोधन उक्त संस्था को उसमें सम्मिलित करके किया गया है ।

भाग 8
सेवाओं के बारे में उपबन्ध

61. अखिल भारतीय सेंवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध—(1) इस धारा में, "संयुक्त काडर" पद का,—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्बन्ध में वही अर्थ है जो उसका भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में है;

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के सम्बन्ध में वही अर्थ है जो उसका भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में है; तथा

(ग) भारतीय वन सेवा के सम्बन्ध में वही अर्थ है जो उसका भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में है ।

(2) नियत दिन से ही आसाम और मेघालय राज्यों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का संयुक्त काडर, भारतीय पुलिस सेवा का संयुक्त काडर और गठित किया जाएगा ।

[7][(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 2012 के प्रारम्भ की तारीख से ही मणिपुर राज्य और त्रिपुरा राज्य, प्रत्येक के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का पृथक काडर, भारतीय पुलिस सेवा का पृथक् काडर और भारतीय वन सेवा का पृथक काडर गठित किया जाएगा ।

(3क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य काडरों की प्रारम्भिक संख्या और संरचना ऐसी होगी, जो केन्द्रीय सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 2012 के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले, आदेश द्वारा, अवधारित करे ।

(3ख) उक्त सेवाओं में से प्रत्येक सेवा के ऐसे सदस्य, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 2012 के प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पहले अखिल भारतीय सेवाओं के प्रत्येक काडर में मणिपुर राज्य और त्रिपुरा राज्य के संयुक्त काडर के है, की उपधारा (1) के अधीन गठित उसी सेवा के राज्य काडरों को ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आंबटित किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3ग) इस धारा की कोई भी बात, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 2012 के प्रारम्भ से या उसके पश्चात् अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।]

(6) उक्त सेवाओं में से प्रत्येक सेवा के ऐसे सदस्य, जो उस नियत दिन के ठीक पहले संघ राज्यक्षेत्रों के काडर में थे जिसे केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, उपधारा (3) के अधीन गठित उसी सेवा के संयुक्त काडर को ऐसी तारीख या तारीखों से आबंटित किए जाएंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(7) प्रत्येक व्यक्ति, जो विद्यमान आसाम राज्य की राज्य सिविल सेवा का सदस्य हो और नियत दिन के ठीक पहले अखिल भारतीय सेवा के आसाम काडर में प्रोन्नति के लिए चयन सूची में हो और जिसके बारे में यदि यह नहीं समझा गया है कि वह धारा 64 के अधीन संघ को आबंटित है तो, उसी क्रम के अनुसार जैसा कि उस सूची में है, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के संयुक्त काडर में प्रोन्नति के लिए, चयन सूची में सम्मलित कर लिया गया समझा जाएगा ।

(8) प्रत्येक व्यक्ति जो मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा के लिए धारा 62 के अधीन आबंटित समझा गया व्यक्ति है और नियत दिन के ठीक पहले अखिल भारतीय सेवा के संघ राज्यक्षेत्र काडर में प्रोन्नति के लिए चयन सूची में है, उसी क्रम के अनुसार जैसा कि उस सूची में है, उपधारा (3) के अधीन गठित उसी सेवा के संयुक्त काडर में प्रोन्नति के लिए चयन सूची में सम्मलित कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 64 के अधीन संघ को आबंटित समझा गया व्यक्ति है और नियत दिन के ठीक पहले अखिल भारतीय सेवा के आसाम काडर में प्रोन्नति के लिए चयन सूची में है, उसी सेवा के संघ राज्यक्षेत्र काडर में प्रोन्नति के लिए चयन सूची में सम्मलित कर लिया गया समझा जाएगा और उक्त चयन सूची में उसकी प्रास्थिति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार अवधारित करेगी ।

(10) इस धारा की कोई भी बात, नियत दिन के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) या उसके बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

62. मणिपुर में और त्रिपुरा में सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध—प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, संघ के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो (जिसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे सम्बद्ध प्रशासक ने किसी अन्य प्राधिकारी के पास प्रतिनियुक्त किया हो), जब तक कि केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अन्यथा निदेश न दे, उस दिन से, यथास्थिति, मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा के लिए आबंटित किया गया समझा जाएगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निदेश नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं जारी किया जाएगा ।

63. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध—धारा 62 के उपबन्धों के होते हुए भी, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पहले मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र में कोई ऐसा पद धारण कर रहा हो जो उस सेवा की प्राधिकृत संख्या में सम्मिलित पद हो, जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, नियत दिन से ही, यथास्थिति, मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य की सरकार में सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर किन्तु बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के, जो उसे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के अधीन लागू हों, प्रतिनियुक्त किया गया समझा जाएगाः

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि किसी भी दशा में नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि से अधिक की न होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा" से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है ।

64. विद्यमान आसाम राज्य में सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध—(1) विद्यमान आसाम राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति (जिनके अन्तर्गत उस राज्य के किसी काडर और मेघालय स्वायत्त राज्य की सरकार के अधीन सेवा करने वाले अथवा किसी अन्य सरकार या प्राधिकारी के पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी है) जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात किसी भी समय,—

(क) यथास्थिति, विद्यमान आसाम राज्य की सरकार और मेघालय स्वायत्त राज्य की सरकार के बीच या आसाम राज्य की सरकार और मेघालय राज्य को सरकार के बीच करार द्वारा, अथवा

(ख) ऐसे किसी करार के अभाव में, केन्द्रीय सरकार द्वारा,

अवधारित किए जाएं, उनकी नियुक्ति के निबन्धनों या उनकी सेवा की शर्तों में किसी बात के होते हुए भी,—

---

[7] 2012 के अधिनियम सं॰ 39 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) खंड (क) में विनिर्दिष्ट दशा में, यथास्थिति, विद्यमान आसाम राज्य की सरकार या आसाम राज्य की सरकार द्वारा किए गए एक या अधिक आदेशों द्वारा, अथवा

(ii) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए एक या अधिक आदेशों द्वारा,

मेघालय राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए अपेक्षित किए जा सकेंगे और तदनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य को ऐसी तारीख से ही, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, आबंटित किया गया समझा जाएगा ।

(2) विद्यमान आसाम राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति (जिनके अन्तर्गत विद्यमान आसाम राज्य के किसी काडर में के और मेघालय स्वायत्त राज्य की सरकार के अधीन सेवा करने वाले अथवा किसी अन्य सरकार या प्राधिकारी के पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी है) जिन्हें केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, विद्यमान आसाम राज्य की सरकार या आसाम राज्य की सरकार से परामर्श करके नियत दिन के पहले या पश्चात् किसी भी समय अवधारित करे, उनकी प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों या उनकी सेवा की शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए एक या अधिक आदेशों द्वारा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए अपेक्षित किए जा सकेंगे और तदनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति संघ को ऐसी तारीख से ही, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, आबंटित किया गया समझा जाएगाः

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य के किसी काडर में हो और मीजो जिले में सेवा कर रहा हो, जब तक कि मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अन्यथा निदेश न दे, उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में नियत दिन से ही तब तक, जब तक कि ऐसे व्यक्ति के बारे में इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न किया जाए या नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सेवा करता रहेगा ।

65. मेघालय स्वायत्त राज्य में सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध—प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले मेघालय स्वायत्त राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो (जिसके अन्तर्गत उस स्वायत्त राज्य की सरकार से किसी अन्य सरकार या प्राधिकारी के पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी है), और जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धारा 64 लागू है, उस तारीख से ही मेघालय राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए आबंटित किया गया समझा जाएगा ।

66. सेवाओं से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध—(1) इस धारा की या धारा 62 से 65 तक (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी है) की कोई भी बात नियत दिन को या उसके पश्चात् उन व्यक्तियों की, जो मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा राज्य अथवा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हों, सेवा की शर्तों के अवधारण के सम्बन्ध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबन्धों के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगीः

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 62 के अधीन मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य को अथवा धारा 64 की उपधारा (1) या धारा 65 के अधीन मेघालय राज्य को या धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन संघ को आबंटित किया गया समझा गया है, नियत दिन के ठीक पहले उसे लागू सेवा की शर्तों में, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका अहित होता हो ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पहले की गई सभी सेवाएं, उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनार्थ,—

(क) उस दशा में जब वह धारा 62 या धारा 64 या धारा 65 के अधीन किसी राज्य को आबंटित किया गया समझा गया है, उस राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में की गई समझी जाएंगी ;

(ख) उस दशा में जब वह मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में संघ को आबंटित किया गया समझा गया है, संघ के कार्यकलापों के सम्बन्ध में की गई समझी जाएगी ।

(3) धारा 62, 64 और 65 के उपबन्ध किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के सम्बन्ध में लागू न होंगे ।

67. अधिकारियों को उन्हीं पदों पर बनाए रखने के बारे में उपबन्ध—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई पद धारण कर रहा हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यथास्थिति, मणिपुर राज्य में या त्रिपुरा राज्य में उसी पद को धारण करता रहेगा और उस दिन से ही सम्बद्ध राज्य की सरकार या उस राज्य में के अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति विद्यमान आसाम राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में नियत दिन के ठीक पहले कोई पद धारण कर रहा हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो और नियत दिन से ऐसे कर्तव्य मेघालय राज्य या मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के कार्यकलापों से सम्बद्ध कर्तव्य हो जाएं वहां वह उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में वही पद धारण करता रहेगा और उस दिन से ही, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या के प्रशासक या उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में के अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति नियत दिन के ठीक पहले मेघालय स्वायत्त राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई पद धारण कर रहा हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो और ऐसे कर्तव्य नियत दिन से मेघालय राज्य के कार्यकलापों से सम्बद्ध कर्तव्य हो जाएं, वहां वह मेघालय राज्य में वही पद धारण करता रहेगा और उस दिन से ही मेघालय राज्य की सरकार या उसमें के अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) की कोई भी बात, नियत दिन से ही किसी सक्षम प्राधिकारी को उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में कोई ऐसा आदेश करने से जिससे ऐसे पद पर उसके बने रहने पर कोई प्रभाव पड़ता हो, रोकने वाली नहीं समझी जाएगी ।

68. सलाहकार समितियां—केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ एक या अधिक सलाहकार समितियां, आदेश द्वारा, स्थापित कर सकेगी—

(क) इस भाग के अधीन उसके किसी भी कृत्य का निर्वहन; तथा

(ख) इस भाग के उपबन्धों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ ऋजु और साम्यपूर्ण व्यवहार का सुनिश्चित करना तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किन्हीं अभ्यावेदनों पर उचित विचार ।

69. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति— केन्द्रीय सरकार आसाम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की राज्य सरकारों को तथा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक को ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ उसे आवश्यक प्रतीत हो और वे राज्य सरकारें तथा प्रशासक उन निदेशों का पालन करेंगे ।

70. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबन्ध—(1) विद्यमान आसाम राज्य का लोक सेवा आयोग नियत दिन से ही आसाम राज्य का लोक सेवा आयोग समझा जाएगा ।

(2) विद्यमान आसाम राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियत दिन के ठीक पहले पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियत दिन से ही आसाम राज्य के लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य हो जाएगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन को उपधारा (2) के अधीन आसाम राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य हो जाता है—

(क) आसाम राज्य की सरकार से सेवा की ऐसी शर्तें पाने का हकदार होगा जो उन शर्तों से कम अनुकूल न होंगी जिन्हें वह नियत दिन के ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन पाने का हकदार था; और

(ख) अनुच्छेद 316 के खंड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन अवधारित उसकी पदावधि का जब तक अवसान न हो, तब तक पद धारण करेगा या धारण किए रहेगा ।

भाग 9
विधिक और प्रकीर्ण उपबन्ध

71. संविधान के अनुच्छेद 210, 239क, 244, 244क, 275, 332, 371ख, तथा पंचम और षष्ठ अनुसूचियों का संशोधन— नियत दिन से ही—

(क) अनुच्छेद 210 के खण्ड (2) के परन्तुक में, "हिमाचल प्रदेश राज्य के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधानमंडलों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुच्छेद 239क के खण्ड (1) में "मणिपुर, त्रिपुरा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) अनुच्छेद 244 में,—

(i) खण्ड (1) में "आसाम राज्य" शब्दों के स्थान पर "आसाम तथा मेघालय राज्यों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड (2) में "आसाम राज्य" शब्दों के स्थान पर "आसाम और मेघालय राज्यों तथा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) अनुच्छेद 244क के खण्ड (1) में "भाग क" शब्द और अक्षर के स्थान पर "भाग 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ङ) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के द्वितीय परन्तुक के खण्ड (क) में "भाग क" शब्द और अक्षर के स्थान पर "भाग 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) अनुच्छेद 332 में,—

(i) खण्ड (5) में "शिलांग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (6) में "शिलांग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(छ) अनुच्छेद 371ख में "भाग क" शब्द और अक्षर के स्थान पर "भाग 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ज) संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 1 में "आसाम राज्य" शब्दों के स्थान पर "आसाम और मेघालय राज्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) संविधान की षष्ठ अनुसूची का संशोधन उसी रूप में हो जाएगा जैसा कि आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है ।

72. 1934 के अधिनियम 2 का संशोधन—नियत दिन से ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21क की उपधारा (1) में "(जिनके अन्तर्गत मेघालय का स्वायत्तशासी राज्य भी है)" कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

73. 1950 के अधिनियम 64 का संशोधन—नियत दिन से ही सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 47क की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(iii) आसाम राज्य सड़क परिवहन निगम के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अधीन बनाए गए आसाम या मेघालय राज्य की सरकार अभिप्रेत होगी ।"

74. 1956 के अधिनियम 37 का संशोधन—नियत दिन से ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में,—

(क) धारा 15 के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात—

"(ग) पूर्वी-अंचल जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्य समाविष्ट होंगे ;";

(ख) धारा 16 की उपधारा (1) में खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा ।

75. 1963 के अधिनियम 20 का संशोधन—नियत दिन से ही संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में "मणिपुर, त्रिपुरा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 44 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

(ग) धारा 52 का लोप किया जाएगा ।

76. 1955 के अधिनियम 56 और त्रिपुरा (न्यायालय) आदेश, 1950 का संशोधन—नियत दिन से ही,—

(क) मणिपुर (न्यायालय) अधिनियम, 1955 का संशोधन उसी रूप में हो जाएगा जैसा कि नवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(ख) त्रिपुरा (न्यायालय) आदेश, 1950 का संशोधन उसी रूप में हो जाएगा जैसा कि दसवीं अनुसूची में निदिष्ट है ।

77. विधियों का प्रादेशिक विस्तार—भाग 2 के उपबन्ध उन राज्यक्षेत्रों में, जिन्हों नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त कोई विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, कोई परिवर्तन करने वाले नहीं समझे जाएंगे और विद्यमान आसाम राज्य या मेघालय स्वायत्त राज्य या मणिपुर या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र या पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी के प्रति ऐसी किसी विधि में राज्यक्षेत्रीय निर्देशों का, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनसे नियत दिन के ठीक पहले उस राज्य या स्वायत्त राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या एजेंसी के भीतर के राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

78. विद्यमान जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों तथा उनके सदस्यों को बनाए रखना–शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि संविधान की षष्ठ अनुसूची के उपबन्धों के अधीन गठित और अपने-अपने स्वायत्त जिलों में और स्वायत्त प्रदेशों में नियत दिन के ठीक पहले कार्य करने वाली सभी जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदें आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 71 के खण्ड (झ) द्वारा यथासंशोधित उक्त अनुसूची के अधीन उस दिन से गठित समझी जाएंगी और तदनुसार,—

(क) प्रत्येक ऐसी जिला परिषद् और प्रादेशिक परिषद् इस बात के होते हुए भी कि भाग 2 के उपबन्धों के आधार पर ऐसा कोई जिला या प्रदेश आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट नहीं रह गया है, अपने-अपने स्वायत्त जिलों में और स्वायत्त प्रदेशों में तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि इससे पहले वे विघटित न कर दी जाएं; और

(ख) ऐसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के अनवसित भाग तक उसका सदस्य बना रहेगा ।

79. विधियों के अनुकूलन की शक्ति— भाग 2 के उपबन्धों द्वारा बनाए गए या स्थापित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी के संबंध में किसी विधि के लागू होने को सुकर करने के प्रयोजनार्थ, समुचित सरकार नियत दिन से दो वर्ष के अवसान के पूर्व, आदेश द्वारा, विधि में ऐसे अनुकूलन और उपान्तर, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन हो और तब प्रत्येक ऐसी विधि, जब तक कि वह सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नही कर दी जाती, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण— इस धारा में "समुचित सरकार" पद से अभिप्रेत है—

(क) संविधान की सप्तम् अनुसूची में संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से सम्बन्धित विधि के बारे में, केन्द्रीय सरकार; और

(ख) किसी अन्य विधि के बारे में,—

(i) उसके किसी राज्य को लागू होने की दशा में, राज्य सरकार, और

(ii) उसके किसी संघ राज्यक्षेत्र को लागू होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार ।

80. विधियों के अयन्वियन की शक्ति—(1) इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पहले बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 79 के अधीन कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, आसाम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा राज्य के अथवा मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसके लागू होने को सुकर करने के प्रयोजनार्थ उस विधि का अर्थ, उसके सार पर प्रभाव

डाले बिना, ऐसी रीति से लगा सकेगा जो उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष के मामले के विषय में आवश्यक या उचित हो ।

(2) किसी विधि में आसाम उच्च न्यायालय या आसाम और नागालैंड उच्च न्यायालय या मणिपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय या त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के प्रति किसी निर्देश का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नियत दिन से ही, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह सामान्य उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश है ।

81. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों आदि को नामित करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के बारे में और राज्य सरकार भाग 2 के उपबन्धों द्वारा स्थापित या बनाए गए किसी नए राज्य के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो नियत दिन से उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे प्रयोक्तव्य कृत्यों का प्रयोग करने के लिए, जो उस अधिसूचना में उपवर्णित हों, सक्षम होगा और ऐसी विधि तदनुसार प्रभावी होगी ।

82. विधिक कार्यवाहियां—(1) जहां नियत दिनके ठीक पहले संघ किसी सम्पत्ति, अधिकार या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पक्षकार हो और ऐसी सम्पत्ति, अधिकार या दायित्व इस अधिनियम के अधीन मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य को न्यागत हो जाए वहां, यथास्थिति, मणिपुर राज्य या त्रिपुरा राज्य उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में संघ के स्थान पर रखा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियां तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी ।

(2) जहां नियत दिन के ठीक पहले मेघालय स्वायत्त राज्य अपनी किसी सम्पत्ति, अधिकार या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पक्षकार हो और ऐसी सम्पत्ति, अधिकार या दायित्व इस अधिनियम के अधीन मेघालय राज्य को न्यागत हो जाए वहां मेघालय राज्य उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में मेघालय स्वायत्त राज्य के स्थान पर रखा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियां तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी ।

(3) जहां नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य इस अधिनियम के अधीन प्रभाजनाधीन किसी सम्पत्ति, अधिकारों या दायित्वों के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पक्षकार हो वहां वह उत्तरवर्ती राज्य, जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के आधार पर उस सम्पत्ति या उन अधिकारों या दायित्वों का वारिस होता हो या उसमें कोई भाग अर्जित करता हो, उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में विद्यमान आसाम राज्य के स्थान पर, यथास्थिति, रखा गया या पक्षकार के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियां तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी ।

83. कुछ दशाओं में विधि व्यवसाय करने का प्लीडरों का अधिकार—कोई व्यक्ति, जिसका नाम नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य के किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के हकदार प्लीडर के रूप में नामावलि में दर्ज हो, उस दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए, उन न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने का हकदार इस बात के होते हुए भी बना रहेगा कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उनका कोई भाग मेघालय राज्य को या किसी संघ राज्यक्षेत्र को अन्तरित कर दिया गया है ।

84. लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) किसी ऐसे क्षेत्र के, जो नियत दिन को किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर आता हो, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष नियत दिन के ठीक पहले लम्बित प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह अनन्यतः उन राज्यक्षेत्रों से संबंधित हो, जो उस दिन से अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के राज्यक्षेत्र हैं तो, यथास्थिति, उस अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अन्तरित हो जाएगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अन्तरित होनी चाहिए तो वह सामान्य उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) इस धारा में,—

(क) "कार्यवाही" के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील भी है; तथा

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है—

(i) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही, यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की जाती तो, प्रस्तुत की जाती; अथवा

(ii) शंका की दशा में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जो नियत दिन के पश्चात्, यथास्थिति, उस राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार, या नियत दिन के पहले, विद्यमान आसाम राज्य की सरकार या मेघालय स्वायत्त राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी, या अधिकारी अवधारित किया जाए ।

85. न्यायालयों, आदि के चालू रहने के बारे में उपबन्ध—विद्यमान समस्त आसाम राज्य या मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र या त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग में नियत दिन के ठीक पहले सभी न्यायालय और अधिकरण तथा विधिक कार्य करने वाले सभी प्राधिकारी, जब तक उनका चालू रहना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो या किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य उपबन्ध न किया जाए, अपने-अपने कार्य करते रहेंगे ।

86. अधिनियम के अन्य विधियों से असंगत उपबन्धों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

87. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोई भी बात कर सकेगा जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

[8][**87क.कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—** (1) यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परंतु इस धारा के अधीन, ऐसा कोई आदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।]

पहली अनुसूची

[धारा 14 (2) और 20 (5) देखिए]

संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 का संशोधन

संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 2 में,—

(1) भाग क—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में,—

(क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

"**1. कचार—**(11) सिलचार, (12) सानाई, (13) ढोलाई, (14) लाखीपुर, (15) उधार बाण्ड, (16) बोरखोला ।";

(ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

"**3. डिफू** (अ॰ ज॰)—(18) हैफलांग, (19) बोकांजन, (20) होङाघाट, (21) बैठलांगसों ।";

(ग) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

"**4. ढुबरी—**(31) मन्काचार, (32) दक्षिणी सलमारा, (33) ढुबरी, (34) गौरीपुर, (35) गोलकगंज, (36) बिलासीपारा ।";

(2) भाग ख— सभा निर्वाचन-क्षेत्र में, क्रम संख्या 1, 2, 3 और 22 से 30 तक (जिसके अन्तर्गत ये दोनों क्रम संख्याएं हैं) का और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 25 (1) देखिए]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,—

(1) पैरा 2 में, "14" अंकों के स्थान पर "17" अंक रखे जाएंगे;

(2) पैरा 4 में, —

(क) "और भाग 14 में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भाग 14 में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश" रखे जाएंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित जोङा जाएगा, अर्थातः—

"और भाग 15, 16 और 17 में किसी राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से गठित राज्य के प्रति निर्देश है";

(3) अनुसूची में, भाग 14 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

[8] 2012 की अधिनियम सं॰ 26 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

"**भाग 15-मणिपुर**

समस्त राज्य मेः—

1. धुपी या धोबी
2. लोई
3. मोची या रविदास
4. नामशूद्र
5. पातनी
6. सूत्रधार
7. यैथिबी

भाग 16—मेघालय

समस्त राज्य मेः—

1. बांसफर
2. भुईमाली या माली
3. बुत्तियाल-बनिया या बनिया
4. धुपी या धोबी
5. डुगला या ढोली
6. हीरा
7. जालकियत
8. झालो, मालो या झालो-मालो
9. कैबर्त या जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर या भंगी
13. मोची या ऋषि
14. नामशूद्र
15. पातनी
16. सूत्रधार

भाग 17-त्रिपुरा

समस्त राज्य मेः—

1. बागडी
2. बैटी
3. भुईमाली
4. भुनर
5. चमार या मोची
6. डन्डासी
7. धैनुआ
8. धोबा
9. दुअई
10. डोम
11. घासी
12. गौङ
13. गुनार
14. गुर
15. गुरंग
16. जालिया कैबर्त
17. कहार
18. कालिन्दी
19. कान
20. कंडा
21. कनुघ
22. केवट
23. खादित
24. खरिया
25. खेमचा
26. कोछ
27. कोयर
28. कोल
29. कोरा
30. कोटाल
31. माहिध्यदास
32. माली
33. मेहतर
34. मूसहार
35. नामशूद्र
36. पातनी
37. सबर ।" ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 25 (2) देखिए]

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्यक्षेत्र आदेश, 1951 में,—

(1) पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

"4. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित उस राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है और अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1966 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित उस राज्यक्षेत्र के

प्रति निर्देश है और अनुसूची के भाग 3 और 4 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है ।" ;

(2) अनुसूची में,—

(क) भाग 3 और 4 का लोप किया जाएगा;

(ख) भाग 5 को भाग 2 के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित भाग के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"भाग 3—मिजोरम

समस्त संघ राज्यक्षेत्र मेः—

1. बांसफर
2. भुई माली या माली
3. बृत्तियाल-बनिया या बनिया
4. धुपी या धोबी
5. डुगला या ढोली
6. हीरा
7. जालकियत
8. झालो, मालो या झालो-मालो
9. कैवर्त या जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर या भंगी
13. मोची या ऋषि
14. नामशूद्र
15. पातनी
16. सूत्रधार ।

भाग 4— अरुणाचल प्रदेश

समस्त संघ राज्यक्षेत्र मेः—

1. बांसफर
2. भुईमाली या माली
3. बृत्तियाल-बनिया या बनिया
4. धुपी या धोबी
5. डुगला या ढोली
6. हीरा
7. जालकियत
8. झालो, मालो या झालो-मालो
9. कैवर्त या जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर या भंगी
13. मोची या ऋषि
14. नामशूद्र
15. पातनी
16. सूत्रधार ।"।

चौथी अनुसूची

[धारा 26 (1) देखिए]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,—

(1) पैरा 2 में "13" अंकों के स्थान पर "16" अंक रखे जाएंगे ;

(2) पैरा 3 में,—

(क) "और भाग 13 में राज्य के या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भाग 13 में राज्य के या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"और भाग 14 से 16 तक में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से गठित राज्य के प्रति निर्देश है" ;

(3) अनुसूची में,—

(क) भाग 2—आसाम में, पैरा 2 का लोप कर दिया जाएगा और पैरा 3 में, "जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर "स्वायत्त जिलों का छोड़कर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) भाग 13 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**भाग 14—मणिपुर**

समस्त राज्य मेः—

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरू
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. काबुई
9. कच्चा नागा
10. खोईराओ
11. कोएरंग
12. कोम
13. लैमगैंग
14. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां
15. मराम्
16. मैरिंग
17. माओ
18. मोन्सैंग
19. मायोन
20. पाइटे
21. पुरुम्
22. राल्टे
23. सेमा
24. सिम्टे
25. सूहटे
26. तेंगखुल
27. थाडो
28. व्हाइफै
29. जाओ ।

भाग 15—मेघालय

समस्त राज्य मेः—

1. चाकमा
2. डिमासा (कछारी)
3. गारो
4. हाजंगू
5. हमार
6. खासी और जैन्तिया (खासी, इसिन्तेंग, प्रार, वार, भोई या लिंगाम सहित)।
7. कोई कुकी जनजातियां जिनके

अंतर्गत निम्नलिखित भी हैः—

(i) बियाते या बियेते
(ii) चांगसान
(iii) चंगलोई
(iv) दौंगले
(v) गमल्हौ
(vi) गंगते
(vii) गुइते
(viii) हैन्नेंग
(ix) हौकिय या हौपित
(x) हौलाई
(xi) हेंगना
(xii) हौन्गसुंध
(xiii) ह्योग्खवाल या रेंग्खोल
(xiv) जंग्बे
(xv) खावचुंग
(xvi) खावन्लंग या खोथालंग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हु
(xxviii) रियांग
(xxix) सैरहेम
(xxx) सेल्नाम
(xxxi) सिंग्सन
(xxxii) सितल्हौ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांग्न्यू

(xix) किप्गेन

(xx) कुकी

(xxi) लेंगथांग

(xxii) ल्हांगम

(xxiii) ल्होजम

(xxiv) ल्होबुन

(xxv) लुफेंग

(xxvi) मांजेल

(xxvii) मिसाऊ

(xxxvi) उइबू

(xxxvii) वाइफे

8. लाखे

9. मान (ताई बोलने वाले)

10. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां

11. मिकिर

12. कोई नागा जनजातियां

13. पावी

14. सिंतेंग ।

भाग 16—त्रिपुरा

समस्त राज्य मेः—

1. लुशाई
2. माग
3. कुकी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उप-जनजातियां भी हैः—
   (i) बाल्टे
   (ii) बेललहुत
   (iii) छाल्य
   (iv) फुन
   (v) हेजांग
   (vi) जंगतेई
   (vii) खरेंग
   (viii) खेफोग
   (ix) कुन्तेई
   (x) लाइफंग
   (xi) लेनतेई
   (xii) मिजेल
   (xiii) नमते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रंचन
   (xvi) रंखोल
   (xvii) थंग्लुईया
4. चाकमा
5. गारू
6. चैमाल
7. हलाम
8. खासिया
9. भूटिया
10. मुन्ज, कौङ सहित
11. ओरांग
12. लेप्चा
13. सन्ताल
14. भील
15. त्रिपुरा, या त्रिपुरी, टिप्पेरा
16. जमातिया
17. नोआटिया
18. रियांग
19. उच्चाएं ।" ।

पांचवी अनुसूची
[**धारा 26 (2) देखिए**]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 में,—

(1) पैरा 2 में, "भाग 1 से लेकर भाग 4 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भाग 1 से लेकर भाग 3 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(2) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

"3. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित उस राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है, और अनुसूची के भाग 2 और 3 में संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है।";

(3) अनुसूची में,—

(क) भाग 2 और 3 का लोप किया जाएगा;

(ख) भाग 4 को भाग 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उस भाग के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

"**भाग 2—मिजोरम**

समस्त संघ राज्यक्षेत्र मेः—

1. चाकमा	(xi) हेंगना
2. डिमासा (कछारी)	(xii) होंगसुंध
3. गारो	(xiii) होंग्खवाल या रेंग्खोल
4. हाजंगू	(xiv) जंग्बे
5. हमार	(xv) खावचुंग
6. खासी और जैन्तिया (खासी, सिन्तेंग या प्नार, वार, भोई या लिंगाम सहित)	(xvi) खावथालंग या खोथालंग
7. कोई कुकी जनजातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—	(xvii) खेल्मा
(i) बियाते या बियेते	(xviii) खोल्हु
(ii) चांगसान	(xix) किप्गेन
(iii) चंगलोई	(xx) ककी
(iv) दौंगेल	(xxi) लेंगयांग
(v) गमल्हौ	(xxii) ल्हांगम
(vi) गंगतै	(xxiii) ल्होजम
(vii) गुइते	(xxiv) ल्होबुन
(viii) हैन्नेंग	(xxv) लुफेंग
(ix) होकिप या हौपित	(xxvi) मांजेल
(x) होलाई	(xxvii) मिसाऊ
(xxx) सेलनाम	(xxviii) रियांग
(xxxi) सिंग्सन	(xxix) सैरहेम

(xxxii) सितल्हौ	8. लाखेर
(xxxiii) सुक्ते	9. मान (ताई बोलने वाले)
(xxxiv) थादो	10. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियां
(xxxv) थांग्न्यू	11. मिकिर
(xxxvi) उइबु	12. कोई नागा जनजातियां
(xxxvii) वाइफै	13. पावी
	14. सितेंग।

भाग 3—अरुणाचल प्रदेश

समस्त संघ राज्यक्षेत्र मेः—

निम्नलिखित के सहित संघ राज्यक्षेत्र की सब जनजातियाः—

1. आबोर
2. आका
3. आपनी
4. डाफला
5. गालंग
6. खाम्पती
7. खोवा
8. मिशमी
9. मोम्बा
10. कोई नागा जनजातियां
11. शेरडुक्पेन
12. सिंग्फो ।

छठी अनुसूची

[धारा 51 (3) देखिए]

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

1.परिभाषाएं—इस अनुसूची में,—

(क) आसाम और मेघालय राज्य के संबंध में "जनसंख्या-अनुपात" से वह अनुपात अभिप्रेत है जो 93.58 और 6.42 के बीच है; तथा

(ख) "अन्तरित राज्यक्षेत्र" से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जो नियत दिन से ही धारा 5 के अधीन मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्र हो जाते हैं ।

2. अनुसूची के उपबन्धों का कुछ आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन को लागू किया जाना—जहां आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 58 के आधार पर किसी आस्ति या दायित्व का मेघालय स्वायत्त राज्य को प्रभाजित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु नियत दिन के पहले वह इस प्रकार प्रभाजित नहीं किया गया है, वहां इस अनुसूची के उपबन्ध उस धारा के अधीन प्रभाजन कर दिए जाने के पश्चात् लागू होंगे ।

3.भूमि, सामान आदि का प्रभाजन—(1) इस अनुसूची के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्यमान आसाम राज्य की सब भूमि और सब सामान, वस्तुएं और अन्य माल नियत दिन से ही—

(क) उस दशा में जब ऐसी भूमि, सामान, वस्तुएं और अन्य माल अन्तरित राज्यक्षेत्रों के भीतर स्थित हों, मेघालय राज्य को संक्रात हो जाएंगे; तथा

(ख) किसी अन्य दशा में आसाम राज्य को संक्रान्त हो जाएंगेः

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी मा या वर्ग के माल का आसाम और मेघालय राज्यों के बीच वितरण माल के स्थित होने के अनुसार न होकर अन्यथा होना चाहिए, वहां केन्द्रीय सरकार, माल के न्यायसंगत और साम्यापूर्ण वितरण के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे, और माल आसाम और मेघालय राज्यों को तदनुसार संक्रान्त हो जाएगा ।

(2) (क) ऐसी भूमि और भवन, जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य द्वारा शिलांग की छावनी और नगरपालिका परिसीमाओं के भीतर धारित हो और जिनके बारे में आसाम और मेघालय राज्यों के बीच करार हो जाए, नियत दिन को और उसके पश्चात् ऐसी अवधि के लिए जो उक्त राज्यों के बीच करार पाई जाए, आसाम राज्य के उपयोग के लिए उपलभ्य होंगे ।

(ख) जहां खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय पर आसाम और मेघालय राज्यों के बीच कोई करार न हो सके, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे विषय का विनिश्चय करेगी और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय उक्त राज्यों पर आबद्धकर होगा ।

(ग) भिन्न-भिन्न भूमि और भवनों के लिए भिन्न-भिन्न अवधि खण्ड (क) के अधीन करार की जा सकेगी या खण्ड (ख) के अधीन विनिश्चित की जा सकेंगी ।

(घ) जहां नियत दिन को या उसके पश्चात् कोई भूमि य भवन इस उपपैरा के अधीन आसाम राज्य को उपलब्ध किया जाए, वहां इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, उस भूमि या भवन की बाबत कोई ऋण या दायित्व मेघालय राज्य को केवल उस तारीख से संक्रात होंगे जिसको कि भूमि या भवन का कब्जा मेघालय राज्य को दिया जाए और ऐसे ऋण या दायित्व की रकम आसाम और मेघालय राज्यों के बीच करार द्वारा, या, ऐसे किसी करार के अभाव में, केन्द्रीय सरकार द्वारा, अभिनिर्धारित की जाएगी ।

(ङ) जब तक खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई भूमि या भवन आसाम राज्य द्वारा अपने उपयोग के लिए धारित किया जाता है तब तक के लिए वह राज्य इस बात का उत्तरदायी होगा कि वह उस भूमि या भवन का अनुरक्षण अपनी निधियों में से करे ।

(3) भागतः अन्तरित राज्यक्षेत्रों मे और भागतः आसाम राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले सचिवालय और विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से संबंधित सामान और अनिर्गमित सामान आसाम और मेघालय राज्यों के बीच ऐसे निदेशों के अनुसार विभाजित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार उनके न्यायसंगत और साम्यापूर्ण वितरण के लिए जारी करना ठीक समझे ।

स्पष्टीकरण— इस पैरा में "भूमि" पद के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर सम्पत्ति और ऐसी संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार भी है, और "माल" पद के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं हैं ।

4. करों का बकाया—मेघालय राज्य को अधिकार होगा कि अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित सम्पत्ति पर के किसी कर या शुल्क का बकाया, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व का बकाया भी है, वसूल करे, और उसे यह भी अधिकार होगा कि यदि किसी अन्य कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित हो तो उस कर या शुल्क का बकाया भी वसूल करे ।

5. उधारों और अधिदायों की वसूली का अधिकार—(1) पैरा 6 के उपपैरा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, अन्तरित राज्यक्षेत्रों में के किसी स्थानीय निकाय, सोसायटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को विद्यमान आसाम राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्व दिए गए उधारों या अधिदायों की वसूली का अधिकार मेघालय राज्य को होगा ।

(2) विद्यमान आसाम राज्य द्वारा किसी सरकारी सेवक को नियत दिन के पहले दिए गए उधारों और आग्रिम वेतन तथा यात्रा भत्ते की वसूली का अधिकार मेघालय राज्य को उस दशा में जब नियत दिन के पश्चात् वह सरकारी सेवक मेघालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए अपेक्षित हो, संक्रांत हो जाएगा ।

6. विनिधान—(1) विद्यमान आसाम राज्य के किसी कम्पनी या प्राइवेट वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में के नियत दिन के ठीक पहले के विनिधान जहां तक कि वे विनिधान रोकड़ बाकी विनिधान खाते में से न किए गए हों या न किए गए समझे गए हों, उस दशा में मेघालय राज्य को संक्रांत हो जाएंगे जब कम्पनी या उपक्रम के कारबार का प्रधान स्थान अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित हो और जहां उस दिन कम्पनी या उपक्रम का स्थान विद्यमान आसाम राज्य के राज्यक्षेत्रों के बाहर स्थित हो वहां ऐसे विनिधानों का आसाम और मेघालय राज्यों में विभाजन जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाएगाः

परन्तु किसी सरकारी कम्पनी में ऐसे विनिधानों का आसाम और मेघालय राज्यों में विभाजन ऐसे अनुपात में किया जाए जो उन राज्यों में करार पाया जाए, अथवा—

(क) ऐसे करार के अभाव में; अथवा

(ख) नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर,

इन दोनों में से जो भी पूर्वत्तर हो, ऐसे अनुपात में किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करेः

परन्तु यह और कि इस पैरा की कोई बात विद्यमान आसाम राज्य के राज्यक्षेत्रों के बाहर स्थित किसी कम्पनी या प्राइवेट वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में 2 अप्रैल, 1971 को या उसके पश्चात् किए गए किसी विनिधान को लागू नहीं होगी।

(2) जहां विद्यमान आसाम राज्य या उसके किसी भाग के लिए किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय भाग 2 के उपबन्धों के आधार पर अन्तरराज्यिक निगमित निकाय हो गया हो, वहां विद्यमान आसाम राज्य द्वारा नियत दिन के पहले ऐसे निगमित निकाय में किए गए विनिधानों या उसे दिए गए उधारों या अधिदायों का आसाम और मेघालय राज्यों में विभाजन, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें निगमित निकाय की आस्तियों का विभाजन भाग 7 के उपबन्धों के अधीन किया जाए ।

7. राज्य उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व—(1) विद्यमान आसाम राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से संबंधित आस्तियां और दायित्व उस दशा में मेघालय राज्य को अन्तरित हो जाएंगे जब वह उपक्रम अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित हो ।

(2) जहां किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम के लिए विद्यमान आसाम राज्य द्वारा अवक्षयण आरक्षित निधि रखी जाती हो वहां उस निधि में से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियां उस दशा में मेघालय राज्य को संक्रांत हो जाएंगी जब वह उपक्रम अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित हो ।

(3) जहां ऐसा कोई उपक्रम भागतः आसाम राज्य में और भागतः मेघालय राज्य में अवस्थित हो वहां क्रमशः उपपैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट आस्तियों और दायित्वों तथा प्रतिभूतियों का विभाजन ऐसी रीति से किया जाएगा जो उन दो राज्यों की सरकारों के बीच नियत दिन से एक वर्ष के भीतर करार पाई जाए या ऐसे करार के अभाव में, जिसका केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।]

8. लोक ऋण—(1) विद्यमान आसाम राज्य का लोक ऋण जो उस उधार के कारण हो, जो सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके लिया गया हो और नियत दिन के ठीक पहले जनता को बकाया हो, आसाम राज्य का लोक ऋण बना रहेगा, और मेघालय राज्य का दायित्व होगा की वह ऐसे ऋण की शोधन व्यवस्था और अदायगी के लिए समय-समय पर देय राशियों में अपना अंश आसाम राज्य को दे और उक्त अंश के अवधारण के प्रयोजन के लिए ऋण का विभाजन आसाम और मेघालय राज्यों के बीच ऐसे किया गया समझा जाएगा मानो वह उपपैरा (5) में निर्दिष्ट ऋण हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपपैरा में, "विद्यमान आसाम राज्य का लोक ऋण" के अन्तर्गत ऐसे लोक ऋण का वह भाग नहीं है जिसकी शोधन व्यवस्था और अदायगी का दायित्व आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 58 के आधार पर मेघालय स्वायत्त राज्य को प्रभाजित हो गया है ।

(2) जहां विद्यमान आसाम राज्य ने कोई निक्षेप निधि या अवक्षयण आरक्षित निधि अपने द्वारा लिए गए किसी उधार की अदायगी के लिए रखी हों वहां उस निधि में से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियों का आसाम और मेघालय राज्यों में विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें दोनों राज्यों के बीच इस पैरा के अधीन कुल लोक ऋण का विभाजन किया जाए ।

(3) किसी विनिर्दिष्ट संस्था को पुनः उधार देने के अभिव्यक्त प्रयोजन के लिए विद्यमान आसाम राज्य का लोक ऋण जो केन्द्रीय सरकार से लिए गए उधारों के कारण हो या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या केन्द्रीय भाण्डागारम निगम या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग या किसी अन्य स्त्रोत से लिए गए उधारों के कारण हो और नियत दिन के ठीक पहले बकाया हो वह—

(क) यदि आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड को या किसी अन्य ऐसी संस्था को, जो नियत दिन को अन्तरराज्यिक निगमित निकाय हो जाती है, पुनः उधार दिया जाता है, तो आसाम और मेघालय राज्यों के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा जिसमें ऐसे निगमित निकाय की आस्तियों का भाग 7 के उपबन्धों के अधीन विभाजन किया जाए;

(ख) यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या अन्य संस्था को पुनः उधार दिया जाता है, तो उस राज्य का ऋण हो जाएगा जिसमें वह स्थानीय क्षेत्र नियत दिन को सम्मिलित हो ।

(4) उपपैरा (1) और (3) में निर्दिष्ट लोक ऋण से भिन्न विद्यमान आसाम राज्य के लोक ऋण के उतने भाग में से, जो उस राज्य द्वारा दिए गए उधारों और अधिदायों के बराबर और नियत दिन को बकाया हो, मेघालय राज्य के दायित्व का अंश उतना होगा, जो पैरा 5 के अधीन मेघालय राज्य द्वारा वसूल किए जा सकने वाले उधारों और अधिदायों की [जो उपपैरा (3) में निर्दिष्ट पुनः उधार दी गई और नियत दिन को बकाया रकमें न हों] रकम के बराबर हो ।

(5) विद्यमान आसाम राज्य के शेष लोक ऋण का, जो केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य निकाय या बैंक से लिए गए और नियत दिन के ठीक पहले बकाया उधारों के कारण हो, आसाम और मेघालय राज्यों के बीच विभाजन आसाम राज्य में रहने वाले राज्यक्षेत्रों में, विद्यमान आसाम राज्य द्वारा, नियत दिन तक, सभी पूंजी संकर्मों तथा पूंजी लागतों पर उपगत किए गए या उपगत समझे गए कुल व्यय के तथा अन्तरित राज्यक्षेत्रों में विद्यमान आसाम राज्य द्वारा, नियत दिन तक, सभी पूंजी संकर्मों तथा अन्य पूंजी लागतों पर उपगत किए गए या उपगत समझे गए कुल व्यय के, जो आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की तृतीय अनुसूची के पैरा 1 में यथापरिभाषित स्वायत्त राज्य के प्रयोजनों के लिए मेगालय स्वायत्त राज्य में 2 अप्रैल, 1970 के पूर्व उपगत की गई या उपगत समझी गई लागतों से भिन्न हो, अनुपात के अनुसार किया जाएगा ।

(6) इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "सरकारी प्रतिभूति" से ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो जनता से उधार लेने के लिए विद्यमान आसाम राज्य द्वारा सृजित और जारी की गई हो और जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित प्ररूपों में से किसी प्ररूप में हो ।

(7) इस पैरा के प्रयोजन के लिए "विद्यमान आसाम राज्य का लोक ऋण जो केन्द्रीय सरकार से लिए गए उधारों के कारण हो" से धारा 52 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार घटा कर आया हुआ राज्य का लोक ऋण अभिप्रेत है ।

9. आधिक्य में वसूल किए गए करों की वापसी—नियत दिन के पश्चात् यह मेघालय राज्य का दायित्व होगा कि वह ऐसी सम्पत्ति पर के किसी कर या शुल्क को (जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व भी है) जो अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थिति किसी

सम्पत्ति पर आधिक्य में वसूल किया गया हो, या आधिक्य में वसूल किए गए किसी अन्य कर या शुल्क को, यदि उस कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित हो, वापस करे ।

10. निक्षेप, आदि—(1) अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित किसी स्थान में, नियत दिन के पहले किए गए किसी सिविल निक्षेप या स्थानीय निधि निक्षेप के बारे में विद्यमान आसाम राज्य का दायित्व मेघालय राज्य का दायित्व हो जाएगा ।

(2) विद्यमान आसाम राज्य का किसी खैराती या अन्य विन्यास की बाबत दायित्व नियत दिन से ही, उस दशा में जब कि विन्यास का फायदा पाने की हकदार संस्था अन्तरित राज्यक्षेत्रों में स्थित हो, या विन्यास के उद्देश्य उसके निबन्धों के अधीन अन्तरित राज्यक्षेत्रों तक ही सीमित हो, मेघालय राज्य का दायित्व होगा ।

11. वेतन और भत्तो का बकाया—विद्यमान आसाम राज्य का, नियत दिन के पूर्व की अवधि के लिए किसी सरकारी सेवक को देय वेतन या भत्तों के बकाया की बाबत दायित्व उस दशा में जबकि सरकारी सेवक से मेघालय राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने की अपेक्षा की जाए, मेघालय राज्य का दायित्व होगा ।

12. भविष्य-निधि, आदि—मेघालय राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने के लिए अपेक्षित सरकारी सेवक की भविष्य-निधि और विशेष निक्षेप निधि खाते के बारे में विद्यमान आसाम राज्य का दायित्व नियत दिन से ही मेघालय राज्य का दायित्व होगा ।

13.पेन्शनें—आसाम राज्य या मेघालय राज्य का पेन्शनों के बारे में दायित्व उन दोनों राज्यों में ऐसा रीति से प्रभाजित किया जाएगा जो उनमें करार पाई जाए, अथवा ऐसे करार के अभाव में ऐसी रीति से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

14. संविदाएं—(1) जहां विद्यमान आसाम राज्य ने अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में उस राज्य के किन्हीं प्रयोजनों के लिए कोई संविदा नियत दिन के पहले की हो, वहां वह संविदा—

(क) यदि ऐसे प्रयोजन नियत दिन से, अनन्यतः आसाम राज्य के या मेघालय राज्य के प्रयोजन हों तो, यथास्थिति, आसाम राज्य या मेघालय राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई समझी जाएगी, तथा

(ख) किसी अन्य दशा में, आसाम राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई समझी जाएगी,

और वे सब अधिकार और दायित्व, जो ऐसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हों या प्रोद्भूत हों, उस सीमा तक, यथास्थिति, आसाम राज्य या मेघालय राज्य के अधिकार या दायित्व होंगे जिस तक वे विद्यमान आसाम राज्य के अधिकार या दायित्व होतेः

परन्तु किसी ऐसी दशा में, जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है, इस उपपैरा के अधीन किया गया अधिकारों और दायित्वों का प्रारम्भिक आबंटन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो आसाम और मेघालय राज्यों के बीच करार पाया जाए या ऐसे करार के अभाव में ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जिसका केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

(2) इस पैरा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे दायित्वों के अन्तर्गत, जो किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हों, या प्रोद्भूत हों निम्नलिखित भी हैः—

(क) संविदा संबंधी किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश या अधिनिर्णय की तुष्टि करने का कोई दायित्व; तथा

(ख) ऐसी किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में उपगत व्ययों के बारे में कोई दायित्व ।

(3) यह पैरा उधारों, प्रत्याभूतियों और अन्य वित्तीय बाध्यताओं के बारे में दायित्वों के प्रभाजन से संबंधित इस अनुसूची के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा; तथा बैंक अतिशेषों और प्रतिभूतियों के विषय में, इस बात के होते हुए भी कि वे संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति वाली हैं, कार्यवाही उन उपबन्धों के अधीन की जाएगी ।

15. अनुयोज्य दोष के बारे में दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पहले, विद्यमान आसाम राज्य पर संविदा भंग से भिन्न, किसी अनुयोज्य दोष के बारे में कोई दायित्व हो, वहां वह दायित्व—

(क) यदि वाद हेतुक पूर्णतया ऐसे राज्यक्षेत्रों के भीतर पैदा हुआ हो जो उस दिन से आसाम राज्य या मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्र हों तो, यथास्थिति, आसाम राज्य या मेघालय राज्य का दायित्व होगा; तथा

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रारम्भिकतः आसाम राज्य का दायित्व होगा किन्तु यह ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो आसाम और मेघालय राज्यों के बीच करार पाया जाए, या ऐसे किसी करार के अभाव में ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जिसका केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

16. प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान आसाम राज्य पर किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसायटी या अन्य व्यक्ति के किसी दायित्व के बारे में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व हो, वहां वह दायित्व—

(क) यदि उस सोसायटी या व्यक्ति का कार्यक्षेत्र उन राज्यक्षेत्रों तक सीमित हो जो नियत दिन से आसाम राज्य या मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्र हों तो, यथास्थिति, आसाम राज्य या मेघालय राज्य का दायित्व होगा ; तथा

(ख) किसी अन्य दशा में प्रारम्भिकतः आसाम राज्य का दायित्व होगा जो ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो आसाम और मेघालय राज्यों के बीच करार पाया जाए या ऐसे करार के अभाव में ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जिसका केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

17. उचन्त मदें—यदि कोई उचंत मद अंततः इस अनुसूची के पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकार की आस्ति या दायित्व पर प्रभाव डालने वाली पाई जाए तो उसके संबंध में कार्यवाही उस उपबन्ध के अनुसार की जाएगी ।

18. अविशिष्टीय उपबन्ध— विद्यमान आसाम राज्य की किसी ऐसी आस्ति या दायित्व का फायदा या भार, जिसके बारे में इस अनुसूची के पूर्वगामी पैराओं में व्यवस्था नहीं की गई है, प्रथमतः आसाम राज्य को ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन संक्रांत होगा जो नियत दिन से एक वर्ष के भीतर आसाम और मेघालय राज्यों के बीच करार पाया जाए या ऐसे करार के अभाव में, जिसका केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

19. आस्तियों और दायित्वों का करार द्वारा प्रभाजन—जहां आसाम और मेघालय राज्य करार कर लें कि किसी विशिष्ट आस्ति या दायित्व के फायदे या भार का प्रभाजन उनके बीच उस रीति से किया जाना चाहिए जो उससे भिन्न है जो इस अनुसूची के पूर्वगामी पैराओं में से किसी में उपबन्धित है , वहां उनमें किसी बात के होते हुए भी उस आस्ति या दायित्व के फायदों या भार का प्रभाजन उस रीति से किया जाएगा जो इस प्रकार करार पाई जाए ।

20. कुछ मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की सरकार की शक्ति— जहां आसाम या मेघालय राज्य, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी के आधार पर किसी संपत्ति का हकदार हो या कोई फायदे अभिप्राप्त करे, या किसी दायित्व के अधीन हो जाए और नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, आसाम राज्य या मेघालय राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार को किए गए निर्देश पर केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि वह सम्पत्ति या वे फायदे इन दोनों राज्यों में से एक को अन्तरित किए जाने चाहिएं या उनमें विभाजित किए जाने चाहिएं या उस दायित्व मद्धे अभिदाय दोनों में से किसी राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, वहां उक्त संपत्ति या फायदों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा, अथवा मेघालय राज्य या आसाम राज्य, प्रथमतः दायित्वाधीन अन्य राज्य को उसके बारे में ऐसा अभिदाय करेगा, जो केन्द्रीय सरकार आसाम सरकार और मेघालय सरकार से परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा, अवधारित करें ।

सातवीं अनुसूची

[धारा 60 (1) देखिए]

उन संस्थाओं की सूची जहां विद्यमान सुविधाएं जारी रखी जाएंगी—

1. आसाम फारेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, झलुकबाडी ।
2. सर्वे स्कूल फार मण्डलस्, गोहाटी ।
3. आसाम सर्वे ट्रेनिंग स्कूल, गोहाटी ।
4. आसाम कोआपरेटिव ट्रेनिंग सेन्टर, जयसागर ।
5. ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर, जोरहाट ।
6. पुलिस ट्रेनिंग कालेज, डेरगांव ।
7. फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी, गोहाटी ।
8. फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, शिलांग ।
9. पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, शिलांग ।
10. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल, गोहाटी ।
11. रीड चेस्ट टी॰ बी॰ हॉस्पिटल, शिलांग ।
12. गोहाटी मेडिकल कालेज, गोहाटी ।
13. आसाम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ ।
14. मेडिकल कालेज, सिलचार ।
15. पैसटर इन्स्टीट्यूट, शिलांग ।
16. स्टेट मलेरिया इन्स्टीट्यूट, शिलांग ।
17. आयुर्वेदिक कालेज, गोहाटी ।
18. मेन्टल हॉस्पिटल, तेजपुर ।
19. प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, छबुआ ।
20. आसाम इंजीनियरिंग कालेज, झलुकबाडी ।
21. जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज, जोरहाट ।

22. आसाम गवर्नमेन्टस प्रेस, शिलांग।
23. आसाम एग्रिकल्चरल कालेज। } कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
24. आसाम वैटरिनरी कालेज। } के अधीन

आठवीं अनुसूची

[धारा 71 (झ) देखिए]

संविधान की षष्ठ अनुसूची में संशोधन

1. संविधान की षष्ठ अनुसूची के (जिसे इसके पश्चात् इस अनुसूची में षष्ठ अनुसूची कहा गया है) शीर्षक में, "आसाम" शब्द के स्थान पर "आसाम और मेघालय राज्यों तथा मिजोरम के संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

2. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 1 में,—

(i) उपकंडिका (1) में, "भाग (क) के प्रत्येक मद में के" शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "भाग 1, भाग 2 और भाग 3 की प्रत्येक मद में के" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपकंडिका (3) में,—

(i) खण्ड (क) और (ख) में "भाग (क)" शब्द, को और अक्षर के स्थान पर "किसी भाग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) विद्यमान परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"परन्तु यह और भी कि इस उपकंडिका के अधीन राज्यपाल द्वारा निकाले गए आदेश में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध (जिनमें कंडिका 20 का और उक्त सारणी के किसी भाग की किसी मद का कोई संशोधन भी सम्मिलित है) हो सकेंगे जो उस आदेश को प्रभावी करने के लिए राज्यपाल को आवश्यक प्रतीत हों ।" ।

3. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 3 की उपकंडिका (1) के परन्तुक के खण्ड (क) में, "आसाम सरकार या मेघालय सरकार" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

4. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 4 में,—

(i) उपकंडिका (3) में, "आसाम का" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपकंडिका (5) में, "यथास्थिति, आसाम या मेघालय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "संबद्ध राज्य की सरकार से परामर्श करने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ।

5. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 6 की उपकंडिका (2) में, "यथास्थिति, आसाम या मेघालय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

6. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 8 की उपकंडिका (1) में, "सामान्यतया आसाम राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजनार्थ भूमियों के परिगणन में आसाम सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर "सामान्यतया राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजनार्थ भूमियों के परिगणन में राज्य की सरकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

7. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 9 की उपकंडिका (1) में, "आसाम सरकार" शब्द जिन दोनों स्थानों पर आए हैं, उनके स्थान पर "राज्य की सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

8. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 12 में, —

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्—

"आसाम राज्य में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त प्रदेशों की संसद् के और आसाम राज्य के विधान मंडल के अधिनियमों का लागू होना" ;

(ii) उपकंडिका (1) में,—

(क) खण्ड (क) में जिन दोनों स्थानों पर "राज्य के विधान मण्डल" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर "आसाम राज्य के विधान मंडल" शब्द रखे जाएंगे और "प्रतिषेध या निबन्धित करता है," शब्दों के पश्चात् "उस राज्य में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, "राज्य के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर "आसाम राज्य के विधान मंडल" शब्द रखे जाएंगे और "उपबंध लागू नहीं होते" शब्दों के पश्चात् "उस राज्य में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

9. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 12क के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका रखी जाएगी, अर्थातः—

"**12क मेघालय राज्य में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त प्रदेशों को संसद् के और मेघालय राज्यों के विधान मंडल के अधिनियमों का लागू होना—**इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यदि इस अनुसूची की कंडिका 3 की उपकंडिका (1) में उल्लिखित विषयों में से किसी के बारे में मेघालय राज्य में की किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबन्ध या उस राज्य में की जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस अनुसूची की कंडिका

8 या कंडिका 10 के अधीन बनाए गए किसी विनियम का कोई उपबन्ध, मेघालय राज्य के विधान मंडल द्वारा उस विषय के बारे में बनाई गई किसी विधि के किसी उपबन्ध के विरुद्ध हो तो, यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई विधि या बनाया गया विनियम, चाहे वह मेघालय राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के पूर्व बनाया गया हो या उसके पश्चात्, उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगा और मेघालय राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी ;

(ख) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के बारे में, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि वह मेघालय राज्य में किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा उस जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपान्तरों के साथ लागू होगा जो वह अधिसूचना में उल्लिखित करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार से दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो ।

12ख. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त प्रदेशों को संसद् के अधिनियमों और अन्य अधिनियमों का लागू होना—संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति संसद् के किसी अधिनियम के बारे में और प्रशासक किसी अन्य अधिनियम के बारे में, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि वह मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा उस जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या परिवर्तनों के साथ लागू होगा जो वह अधिसूचना में उल्लिखित करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार से दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो ।" ।

10. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 13 में, "आसाम" शब्द का लोप किया जाएगा ।

11. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 14 की उपकंडिका (2) में, "आसाम सरकार" शब्दों के स्थान पर "राज्य की सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

12. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 17 में, "आसाम की विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "आसाम या मेघालय की विधान सभा" शब्द रखे जाएंगे और "आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि" शब्दों के पश्चात्, "यथास्थिति, आसाम या मेघालय राज्य में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

13. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 18 का लोप किया जाएगा ।

14. षष्ठ अनुसूची की कंडिका 20 और 20क के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थातः—

"**20. आदिमजाति क्षेत्र—**(1) निम्न सारणी के भाग 1, 2 और 3 में उल्लिखित क्षेत्र क्रमशः आसाम राज्य, मेघालय राज्य और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में के आदिमजाति-क्षेत्र होंगे ।

(2) निम्न सारणी में किसी जिले के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से ठीक पहले विद्यमान उस नाम के स्वायत्त जिले में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के प्रति निर्देश हैः

परन्तु इस अनुसूची की कंडिका 3 की उपकंडिका (1) के खण्ड (ङ) और (च), कंडिका 4, कंडिका 5, कंडिका 6, कंडिका 8 की उपकंडिका (2), उपकंडिका (3) के खण्ड (क), (ख) और (घ) और उपकंडिका (4) तथा कंडिका 10 की उपकंडिका (2) के खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र के किसी भाग के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संयुक्त खासी-जयन्तीया पहाड़ी जिले में है ।

सारणी

भाग 1

1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला ।
2. मिकिर पहाड़ी जिला ।

भाग 2

1. संयुक्त शासी-जयन्तीया पहाड़ी जिला ।
2. जोवाई जिला ।
3. गारो पहाड़ी जिला ।

भाग 3

मीजो जिला ।

20क. निर्वचन— इस निमित्त किए गए किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, इस अनुसूची के उपबन्ध मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को लागू होने में ऐसे प्रभावी होंगे मानो—

(1) राज्य के राज्यपाल तथा सरकार के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और ("राज्य की सरकार" पद में के सिवाय) राज्य के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश हों;

(2) (क) कंडिका 1 की उपकंडिका (3) में,—

(i) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया गया हो, अर्थातः—

"(ज) किसी स्वायत्त प्रदेश से दो या उससे अधिक स्वायत्त प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा और उनकी सीमाएं परिभाषित कर सकेगा;" ;

(ii) प्रथम परन्तुक का लोप किया गया हो;

(ख) कंडिका 4 की उपकंडिका (5) में संबद्ध राज्य की सरकार से परामर्श के उपबन्ध का लोप किया गया हो;

(ग) कंडिका 9 की उपकंडिका (2) में, "स्वविवेक से" शब्दों का लोप किया गया हो;

(घ) कंडिका 13 का लोप किया गया हो;

(ङ) कंडिका 14 की उपकंडिका (2) और (3) का लोप किया गया हो;

(च) कंडिका 15 की उपकंडिका (2) का (उसके परन्तुक के सहित) लोप किया गया हो ।

(छ) कंडिका 16 में,—

(i) उपकंडिका (1) में, खण्ड (ख) में "राज्य के विधान मंडल के पूर्व अनुमोदन से" शब्दों का और उस उपकंडिका के द्वितीय परन्तुक का लोप किया गया हो;

(ii) उपकंडिका (3) का लोप किया गया हो।" ।

नवीं अनुसूची

[धारा 76 (क) देखिए]

मणिपुर (न्यायालय) अधिनियम, 1955 में संशोधन

मणिपुर (न्यायालय) अधिनियम, 1955 (1955 का 56) में,—

(i) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय उस अधिनियम में सर्वत्र,—

(क) "मुख्य आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे, और "न्यायिक आयुक्त" या "न्यायिक आयुक्त का न्यायालय" या "न्यायिक आयुक्त के न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे और ऐसे पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे जिनकी व्याकरण के नियम अपेक्षा करें;

(ख) "मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "मणिपुर राज्य" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) बृहत नाम में, "न्यायिक आयुक्त का न्यायालय और अन्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) धारा 2 में,—

(क) खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

(iiiक) " उच्च न्यायालय" से गोहाटी उच्च न्यायालय (आसाम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय) अभिप्रेत है;

(iv) अध्याय 2 का लोप किया जाएगा;

(v) धारा 16 में, "न्यायिक आयुक्त के न्यायालय और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(vi) धारा 17 में,—

(क) "(1)" कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(vii) धारा 18 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः—

"(1) जब किसी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित कार्य के शीघ् निपटारे के लिए अपर जिला न्यायाधीश की सहायता की अपेक्षा हो तब एक या अधिक अपर जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकेंगे ।"

(viii) धारा 19 का लोप किया जाएगा;

(ix) धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातः—

"**23. अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुंसिफो के न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं—**(1) किसी अधीनस्थ न्यायाधीश या किसी मुंसिफ के न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं वे होंगी जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित करे ।

(2) जब कोई अधीनस्थ न्यायाधीश किसी जिले में पदारूढ हो तब, तत्प्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं उस जिले की स्थानीय सीमाएं होंगी ।"

(x) धारा 25 में, उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ;

(xi) धारा 33,34,35 और 40 का लोप किया जाएगा ;

(xii) धारा 43 की उपधारा (1) में, "न्यायिक आयुक्त के न्यायालय और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xiii) धारा 46 का लोप किया जाएगा ।

दसवीं अनुसूची

[धारा 76 (ख) देखिए]

त्रिपुरा (न्यायालय) आदेश, 1950 में संशोधन

त्रिपुरा (न्यायालय) आदेश, 1950 में,—

(i) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय उस आदेश में सर्वत्र "मुख्य आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे और "न्यायिक आयुक्त" या "न्यायिक आयुक्त का न्यायालय" या "न्यायिक आयुक्त के न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे और ऐसे पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हों;

(ii) कंडिका 2 में,—

(क) खण्ड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थातः—

'(iii) "उच्च न्यायालय" से गोहाटी उच्च न्यायालय (आसाम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय) अभिप्रेत है; ';

(iiक) "त्रिपुरा" से त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत है ;

(iii) अध्याय 2 का लोप किया जाएगा;

(iv) कंडिका 15 में, "न्यायिक आयुक्त के न्यायालय और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) कंडिका 16 में,—

(क) "(1)" कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपकंडिका (2) का लोप किया जाएगा;

(vi) कंडिका 17 में, उपकंडिका (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपकंडिका रखी जाएगी, अर्थातः—

"(1) जब किसी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित कार्य के शीघ्र निपटारे के लिए अपर न्यायाधीश या न्यायाधीशों की सहायता की अपेक्षा हो तब एक या अधिक अपर जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकेंगे ।"

(vii) कंडिका 18 का लोप किया जाएगा ;

(viii) कंडिका 22 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका रखी जाएगी, अर्थातः—

"22. अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुंसिफों के न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं—(1) किसी अधीनस्थ न्यायाधीश या मुसिफ के न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं वे होंगी जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अवधारित करे ।

(2) जब कोई अधीनस्थ न्यायाधीश किसी जिले में पदारूढ हो तब, तत्प्रतिकूल किन्हीं निदेशों के अभाव में, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं उस जिले की स्थानीय सीमाएं होंगी ।"

(ix) कंडिका 31 का लोप किया जाएगा;

(x) कंडिका 32 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका रखी जाएगी, अर्थातः—

"**32. जिला न्यायालय की अपीली डिक्री का अंतिम होना—**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 100 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला न्यायालय की अपीली डिक्री अंतिम होगी ।"

(xi) कंडिका 33, 34, 35 और 41 का लोप किया जाएगा ;

(xii) कंडिका 42 की उपकंडिका (1) में, "न्यायिक आयुक्त के न्यायालय और" शब्दों का लोप किया जाएगा ।